BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 883/2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "EXPERTS FLAG LARGE-SCALE CLEARING OF VEGETATION IN MIRZAPUR FOREST" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 03.07.2024

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	TRUE COPY OF THE LETTER DATED 18.03.2025 ALONG WITH COMPLIANCE REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 21.05.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 883/2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "EXPERTS FLAG LARGE-SCALE CLEARING OF VEGETATION IN MIRZAPUR FOREST" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 03.07.2024

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I MANEESH MITTAL, aged about 45 years, S/o Shri RAM AUTAR MITTAL posted as Chief Conservator of Forests, Mirzapur, State of U.P., do hereby most solemnly state and affirm as under:

1. That by virtue of the authorization letter dated 18.03.2025, the undersigned has been duly empowered to file the present affidavit on behalf of the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department State of Uttar Pradesh. The submissions set forth herein are solely made in accordance with the instructions dated 05.02.2025, as provided by the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, State of

Uttar Pradesh, pursuant to the aforementioned authorization letter dated 18.03.2025.

True copy of letter dated 18.03.2025 along with compliance report is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.

I. DIRECTIONS OF THE HON'BLE TRIBUNAL

2. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 23.07.2024 directed the Respondent No. 1 to file their response to the issues raised in the present Original Application. The relevant paragraph of the order is as stated below:

> *"...10. Hence, we implead following as respondents in this matter:*
>
> *(i) Principal Chief Conservator of Forest, Uttar Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, 17, RanaPratapMarg, Lucknow, (Uttar Pradesh)- 226001*
>
> *(ii) Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh, 17, RanaPratapMarg, Lucknow 226001, Uttar Pradesh*
>
> *(iii) Ministry of Envieonment, Forest and Climate Change, Through its Regional Office, Integrated Regional Office, KendriyaBhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020*
>
> *(iv) District Magistrate, Mirzapur, Rambagh Rd, Ramaipatti, Mirzapur, Uttar Pradesh 231001*
>
> *11. Issue notice to the above Respondents for filing their response*

NOTARY GOVT. OF INDIA Reg. No.

atleast one week before the next date of hearing..."

3. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's Order dated 23.07.2024, the following submissions are made as per the instructions provided by the Respondent No.1 Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, State of U.P.

II. ACTIONS TAKEN PURSUANT TO ORDER DATED 23.07.2024

4. That the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow, in compliance with the order dated 23.07.2024 passed by the Hon'ble Tribunal, constituted a committee via letter dated 25.10.2024.

5. That the committee held its final meeting and submitted a detailed report (Annexure-A of ANNEXURE-1) on 02.01.2025 to the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow.

6. Based on the Hon'ble NGT order dated 23.07.2024 and the committee constituted by the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow vide order dated 25.10.2024, the conclusions as mentioned in letter dated 5.02.2025 are as follows:

   i. With respect to Para-2 of the Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, based on the committee's report, it has been concluded that no land has

NOTARY GOVT. OF INDIA

been identified as "Forest Like Area" by the district-level committee constituted as per government directives in Village DadariKhurd under Madihan Range of District Mirzapur. Further, in the proposed project by Mirzapur Thermal Energy U.P. Pvt. Ltd. in Village DadariKhurd, out of the total area of 262.16 acres notified under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927, an area of 1.63 hectares is proposed for non-forestry purposes for access road and pipeline. The proposal for this is under due process for approval under the Forest (Conservation) Act, 1980.

ii. The committee in its report dated 02.01.2025 has stated the following with respect to Notification No. 617/XIV dated 11.10.1952:

"In compliance with the letter No. 1705/81-2-2019-800(64)/2016 dated 26.08.2019 from the Special Secretary, U.P. Government, Environment, Forest and Climate Change Section-2, Lucknow (Annexure-4), the District Magistrate, Mirzapur constituted a joint team of the Revenue Department and the Forest Department and was required to provide a clear report along with relevant records. Accordingly, a joint inspection report dated 28.02.2024, provided via District Magistrate's Letter No. 1916/Zi.Bhu.Vya.Li-2023/Thermal AUP Pvt. Ltd. dated 29 February 2024, was examined. It was clarified that all land (264.88 acres) available in Village DadariKhurd under Schedule-2 of Government Order No.

617/XIV dated 11.10.1952 was handed over to the Forest Department. The remaining land could not be handed over at that time as it was not available and is currently also not possible to be handed over. Hence, other parcels of land, including land purchased by Welspun, are not in the form of deemed forest and are not covered as forest." ***(Annexure-4 Page 43-46)***

iii. The District Magistrate, Mirzapur, in his report dated 29.02.2024 (Annexure-7), has clearly stated that in the forest department's Gazette Notification No. 617 dated 11.10.1952, for Village DadariKhurd of District Mirzapur, at page number 1225, Serial Nos. 244 and 248, an area of 800 and 843 acres respectively was recorded. However, in the revenue records (Khasra year 1359 Fasli, i.e., 1952), the total area of the said village is 1209.562 acres. ***(Annexure-7 Page 51-57)***

Therefore, it is evidently proven from the revenue records that the total area of forest land mentioned in the 1952 notification (1643 acres) is erroneous, as under no circumstances can it exceed the total village area of 1209.562 acres.

iv. It is also noteworthy that Notification No. 5564/XIV dated 27 December 1955 under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927, was issued for 800 acres of land in Village DadariKhurd. This was subsequently partially revised vide Notification No. 23(2)36(b)/14-1-67 dated 24 July 1967.

NOTARY OF INDIA

under which 264.88 acres (423 Bigha 12 Biswa) of land was notified under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927.In line with this, Notification No. 4646/14-2-20(41)-77 dated 20.07.1977 was issued under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927, declaring 6 plots—01 Mi, 24 Mi, 73/1, 74 Mi, 184, and 185—with a total area of 419 Bigha 09 Biswa(i.e., 262.29 acres) as reserved forest, which is duly recorded in the current Khatauni (land records).

In compliance with the letter dated 26.08.2019 (Annexure-4) from the Special Secretary, U.P. Government, Environment, Forest and Climate Change Section-2, the joint inspection report sent by the District Magistrate, Mirzapur, dated 29.02.2024 (Annexure-7), has confirmed that the land purchased by Welspun does not include any deemed forest. This report was forwarded by the Divisional Forest Officer, Mirzapur through his letter dated 02 March 2024 to the Special Secretary, U.P. Government, Environment, Forest and Climate Change Section-2, with copies sent to the Additional Chief Secretary, U.P. Government, Lucknow, and Chief Conservator of Forests/Nodal Forest Officer, U.P., Lucknow, in reference to Letter No. 398/11-C-FT/UP/Thermal/14236/2015 dated 27.08.2019.

NOTARY GOVT. OF INDIA

v. In compliance with the Government of U.P. letter dated 26.08.2019 (Annexure-4), the District Magistrate, Mirzapur / Revenue Department (Regarding Land Issues: Custodian Government / Revenue Department) has explicitly stated that the land purchased by Welspun does not include any deemed forest. Hence, the joint inspection report referred to in District Magistrate, Mirzapur's letter dated 29.02.2024 (Annexure-7) regarding notification no-617, appears.

7. That vide letter dated 15.01.2025, the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow, sought a report from the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Lucknow, on points 4, 5, 6, and 7 of the order dated 23.07.2024 issued by the Hon'ble Tribunal. The Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow submitted the report vide letter dated 03.02.2025 (Annexure-B), from which the conclusions are as follows:

i. **PARA 4**

"...4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem.

This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory…"

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that *"Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife)"* was conditionally approved by letter dated 15.10.2014.

ii. **PARA 5**

"…5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with

Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in DebadityoSinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP)..."

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that environmental clearance procedures are beyond the jurisdiction of the Forest Department. Hence, no comments are required on this point.

iii. **PARA 6**

"...6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important

for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site..."

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that the project site at Village DadariKhurd, Tehsil-Sadar, District-Mirzapur is situated adjoining Danti Reserved Forest (south), Sukhnaai Reserved Forest (north), and Dadhiram Reserved Forest (east). Hence, the presence of wildlife in the vicinity is natural. However, no specific wildlife population data is maintained for the particular location.

iv. **PARA 7**

"...7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980..."

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that No deforestation or non-forestry activity has been verified within the Reserved Forest area.

NOTARY GOVT. OF INDIA

8. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

9. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the approved instructions dated 05.02.2025 and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at **NOIDA** on this 21st day of MAY, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF INDIA K.P. Yadav Reg. No. 4123

ATTESTED
K.P. YADAV
NOTARY PUBLIC

21 MAY 2025

अतिमहत्वपूर्ण/नियत तिथि 21.03.2025/ई-मेल द्वारा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक-को0के0 2728 /6ई-2(NGT) ,लखनऊ, दिनांक, मार्च, 18-, 2025.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर मण्डल,
मीरजापुर। व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

PRIORITY COURT CASE PRIORITY

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024 News item Titled "Experts Flags Large-scale clearing of vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in the Hindustan Times Dated 03.07.2024** के सम्बन्ध में।

संदर्भ- 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का शासकीय पत्र-एन0जी0टी0 39/81-2-2025, दिनांक 18.03.2025.

2. इस कार्यालय के पत्र-को0के0 2354/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 05.02.2025 एवं पत्र को0के0 2707/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 17.03.2025 (जो शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है).

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासकीय पत्र दिनांक 18.03.2025 द्वारा निम्न निर्देश प्राप्त हुए है, जिसका प्रभावी अंश निम्न है:-

".............2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र **दिनांक 05.02.2025** एवं **दिनांक 17.03.2025** के कम में प्रस्तावित शपथ-पत्र हेतु उल्लिखित बिन्दुवार आख्या पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **अनुमति प्रदान की जाती है**:-

(क) विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा बिन्दुवार आख्या में अंकित तथ्यों को पुनः मूल अभिलेखों से मिलान करा लिया जायेगा तथा शासकीय हितों को ध्यान में रखते हुए मा0 न्यायाधिकरण में समयान्तर्गत प्रतिशपथ-पत्र आदि दाखिल कराकर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जायेगी तथा मा0 न्यायाधिकरण से पारित आदेशों से, कार्यवाही प्रस्ताव सहित शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

(ख) विज्ञप्ति संख्या-617/XIV दिनांक 11.10.1952 को यदि त्रुटिपूर्ण पाया जाए तो उसके संशोधन मे अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।....."

अतः उक्त विषयक प्रकरण में आपको निर्देशित किया जाता है कि:-

i- उक्त वर्णित शासकीय आदेश के बिन्दु-2(क) में उल्लिखित पत्र **दि0 05.02.2025** एवं **दि0 17.03.2025** (पी0डी0एफ0 प्रति ई-मेल पर पुनः प्रेषित) के अनुपालन में आप तत्काल वाद में आबद्ध श्री भवरपाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 से समन्वय स्थापित कर अधोहस्ताक्षरी की ओर से प्रति शपथ-पत्र दि0 21.03.2025 से पूर्व दायर करना सुनिश्चित करें व मा0 न्यायालय में आबद्ध अधिवक्ताओं को ब्रिफ करते हुए सुनवाई के समय सुसंगत अभिलेखों के साथ उनके सहयोगार्थ उपस्थित रहे तथा कृत कार्यवाही से संसूचित करें।

ii- उक्त वर्णित शासकीय पत्र के पैरा-2(ख) पर वांछित अग्रेत्तर कार्यवाही के जो निर्देश प्राप्त हुए है इस सम्बन्ध में आपके पत्र 2672/मी0क्षे0/10रिट, दिनांक 17.03.2025 पर मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर वांछित अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण है एवं शासन की प्राथमिकता में है। अतः इसमें आपका व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण एवं त्वरित कार्यवाही उक्त बिन्दु-i एवं ii पर उक्तानुसार की जाए।

संलग्नक-1. शासकीय पत्र दिनांक 18.03.2025।
2. को0के0 2354/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 05.02.2025.
3. को0के0 2707/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 17.03.2025.

18/3/25

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

संख्या– 2720/(1) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन को संदर्भित पत्र दिनांक 18.03.2025 के कम में दिये गये निर्देश पर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री भंवरपाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 को संदर्भित शासकीय पत्र दिनांक 18.03.2025 को संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र में उल्लिखित संदर्भित पत्र को0के0 2354/6ई–2 (एन0जी0टी0), दि0 05.02.2025 एवं पत्र को0के0 2707/6ई–2 (एन0जी0टी0), दि0 17.03.2025 को ई–मेल के माध्यम से आपको प्रेषित है।

इस सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर को उक्तानुसार दिये गये निर्देश की वह आपसे व्यक्तिगत समन्वय कर ब्रिफिंग करें एवं अधोहस्ताक्षरी की ओर से (मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर) को प्रति शपथ–पत्र मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है। वाद **दिनांक 21.03.2025** को नियत है।

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

संख्या– 2720/(2) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र 2054/10–1(कोर्टकेस), दि0 03.02.2025 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र 187/एन0जी0टी0, दि0 09.01.2025 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

संख्या– 2720/(3) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित पत्र शासकीय पत्रांक–एन0जी0टी0 39/81–2–2025, दिनांक 18.03.2025 (स्कैन प्रति ई–मेल पर) के बिन्दु–2(ख) पर दिये गये निर्देश पर समुचित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम–1980 (यथा संशोधित), उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित पत्र शासकीय पत्रांक–एन0जी0टी0 39/81–2–2025, दिनांक 18.03.2025 (स्कैन प्रति ई–मेल पर) के बिन्दु–2 (ख) पर दिये गये निर्देश पर समुचित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

कोर्टकेस/समयबद्ध

संख्या-एन.जी.टी.39/81-2-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

कार्यालय
वैदिक/प्रमुख वन संरक्षक परियोजना प्रमुख (कोर्ट केस)
रजि0 नं0 427
शाखा C.O.N.G.T
दिनांक 18/3/2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18-03-2025

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-को0के0-2354/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 05.02.2025 एवं पत्रांक-को0के0-2707/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 17.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ओ0ए0 संख्या-883/2024 में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के क्रम में प्रस्तावित शपथ-पत्र हेतु बिन्दुवार आख्या पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05.02.2025 एवं दिनांक 17.03.2025 के क्रम में प्रस्तावित शपथ-पत्र हेतु उल्लिखित बिन्दुवार आख्या पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

(क)- विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा बिन्दुवार आख्या में अंकित तथ्यों को पुनः मूल अभिलेखों से मिलान करा लिया जायेगा तथा शासकीय हितों को ध्यान में रखते हुये मा० न्यायाधिकरण में समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल कराकर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जायेगी तथा मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों से, कार्यवाही प्रस्ताव सहित शासन को समय- समय पर अवगत कराया जायेगा।

(ख)- विज्ञप्ति संख्या-617/XIV, दिनांक 11.10.1952 को यदि त्रुटिपूर्ण पाया जाए तो उसके संशोधन के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

अतः अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत वाद में उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

C.O.N.G.T
18.03.25
DFO(C)
18.03.25

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

Signed by
Shailendra Kumar
Date: 18-03-2025 20:51:06

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–को0के0–2354/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक, लखनऊ, फरवरी 05, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024.**

संदर्भः मा0 एन0जी0टी0 का आदेश दि0 23.07.2024 (स्कैन प्रति ई–मेल पर)।

महोदय,

विषयगत प्रकरण मा0 न्यायाधिकरण के आदेश दि0 23.07.2024 में जो मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ग्राम–ददरी खुर्द में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वनस्पतियों की सफाई/वन भूमि पर वनों की कटाई/सड़क–मार्ग सहित/अन्य निर्माण कार्य आदि बिन्दुओं पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 से रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी है।

2. तत्कम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1426/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 25.10.2024 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, तथा वन्यजीव से सम्बन्धित विषयों पर मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 पर इस कार्यालय के पत्रांक–2191/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 15.01.2025 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 से आख्या मांगी गयी थी जो द्वय आख्या **(संलग्नक–अ एवं संलग्नक–ब)** संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

अतः शासन से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 (इण्टरनेट प्रति संलग्न) के अनुपालन में उक्त संलग्न प्रस्तर–2 पर की गयी कार्यवाही के क्रम में तद्नुसार संलग्न प्रस्तावित शपथ–पत्र की आख्या **(संलग्नक–स)** का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें **ताकि मा0 एन0जी0टी0 में नियत तिथि दि0 19.02.2025 से पूर्व दाखिल किया जा सके।**

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2354/(1)तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0।
3. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर को मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन से परस्पर समन्वय कर तद्नुसार संलग्न प्रस्तावित शपथ–पत्र की आख्या **(संलग्नक–स)** पर शासन से अनुमोदन कराना सुनिश्चित करें एवं अधोहस्ताक्षरी की ओर से निर्धारित तिथि 19.02.2025 से पूर्व हस्ताक्षरोपरान्त दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

C:\Users\...\Downloads\FINAL 04.02.2025 PLAN 8 883 2024 NGT (1) (1).doc

(संलग्नक–स)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के कम में आख्या–

1. मा0 न्यायाधिकरण के द्वारा दिनांक 23.07.2024 को आदेश पारित किया गया है, जो निम्नवत् है–

"…. 2.The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh.

3. The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects.

4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory.

5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP).

6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site. 3

7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980…."

2. उक्त प्रकरण मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ग्राम–ददरी खुर्द में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वनस्पतियों की सफाई/वन भूमि से वनों की कटाई एवं छटाई/सड़क–मार्ग सहित अन्य निर्माण कार्य आदि बिन्दुओं पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) से प्रतिक्रिया की अपेक्षा की गयी है।

3. उक्त के क्रम में–

(अ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दि0 23.07.2024 पर अपने कार्यालय के पत्रांक–1426/ 6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से समिति का गठन किया गया, जिस पर समिति द्वारा अंतिम बैठक कर दि0 02.01.2025 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को विस्तृत रिपोर्ट **(संलग्नक–अ)** प्रस्तुत की गयी। **(रिपोर्ट की प्रति संलग्न– (अ) है।**

(ब) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 2191/6ई–2–एन0जी0टी0 दिनांक 15.01.2025 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), लखनऊ से मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 23.07.2024 के बिन्दु संख्या–4,5,6 व 7 पर आख्या मांगी

गयी थी, जिसके अनुपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), लखनऊ अपने कार्यालय के पत्रांक 2054/10–1(कोर्ट केस) दिनांक 03.02.2025 के माध्यम से रिपोर्ट उपलब्ध करायी है। **(रिपोर्ट की प्रति संलग्न– (ब) है।)**

1– मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेश दि० 23.07.2024 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ द्वारा गठित समिति दि० 25.10.2024 पर निष्कर्ष निम्नवत् है–

(अ) मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेश दि० 23.07.2024 के प्रस्तर–2 पर समिति की उक्त रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष पाया जाता है कि जनपद मीरजापुर के मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में शासकीय निर्देशों के क्रम में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित "वन स्वरूप क्षेत्र" के रूप में कोई भी भूमि चिन्हित नहीं है। साथ ही मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यू०पी०प्रा०लि० द्वारा प्रस्तावित परियोजना में ग्राम ददरी खुर्द में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 से आच्छादित भूमि कुल 262.16 एकड़ मे से 1.63 हे० भाग पहुँचमार्ग एवं पाइपलाइन के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। इसकी विधिवत् अनुमति हेतु वन संरक्षण एवं संर्वधन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

(ब) समिति द्वारा अपने रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 में विज्ञप्ति संख्या–617/XIV दिनांक 11.10.1952 के सम्बन्ध में निम्न रूप से उल्लेख किया है–"विज्ञप्ति संख्या– 617/XIV दिनांक 11.10.1952 के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ०प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ के पत्र संख्या–1705/81–2–2019–800(64)/2016 दि० 26.08.2019 **(संलग्नक–4)** के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। तत्क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर का पत्रांक–1916/जि०भू०व्या० ली०–2023/थर्मल ए०यू०पी०प्रा०लि० दिनांक 29 फरवरी, 2024 द्वारा प्रेषित संयुक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 का परीक्षण किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या–617/XIV दिनांक 11.10.1952 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88 एकड़) वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भवन नही था एवं वर्तमान में भी सम्भवन नही है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है एवं वन से आच्छादित नही है।

(स) जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र दिनांक 29.02.2024 **(संलग्नक–7)** के माध्यम से प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 11.10.1952 वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन सं०–617 में जिला मीरजापुर के ग्राम–ददरी खुर्द हेतु सूची के पृष्ठ संख्या–1225 के क्रम सं०–244 व 248 पर ग्राम–ददरी खुर्द के सम्बन्ध में क्रमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। जबकि 1359 फसली खसरा (वर्ष 1952) में उक्त गॉव का कुल रकबा 1209.562 एकड़ है।

अतः राजस्व अभिलेख से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन में उल्लिखित वन भूमि का कुल रकबा 1643 एकड़ त्रुटिपूर्ण है यह किसी भी स्थिति में राजस्व ग्राम की कुल रकबा 1209.562 एकड़ से अधिक नही हो सकता।

(द) यह भी उल्लेखनीय है कि विज्ञप्ति सं0–5564/XIV दिनांक 27 दिसम्बर, 1955 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में 800 एकड़ भूमि का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका पुनः आंशिक परिष्कार करते हुए विज्ञप्ति सं0–23(2)36(ब)/14–1–67, दिनांक 24 जुलाई, 1967 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) भूमि का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसी के अनुरूप ही विज्ञप्ति सं0–4646/14–2–20(41)–77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटो–01 मि0, 24 मि0, 73/1, 74 मि0, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा अर्थात 262.29 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशित हुआ है जो वर्तमान खतौनी में दर्ज है।

विशेष सचिव उ0प्र0, शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 26.08.2019 **(संलग्नक–4)** के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र दिनांक 29.02.2024 **(संलग्नक–7)** द्वारा प्रेषित संयुक्त जॉच रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की जा चुकी है कि वेलस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि में निहित वन सम्मिलित नहीं है। जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रेषित उक्त रिपोर्ट को प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र दिनांक 02 मार्च, 2024 के माध्यम से विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 को सम्बोधित करते हुए प्रतिलिपि मय संलग्नक अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ व मुख्य वन संरक्षक/नोडल वन अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक 398/11–सी–एफटी/यू0पी0/थर्मल/14236/2015 लखनऊ दिनांक 27.08.2019 के क्रम में प्रेषित की गयी।

(च) उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 **(संलग्नक–4)** के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर कार्यालय/राजस्व विभाग (Regarding Land issues: Custodian Governemnt/Revenue Department) द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेलस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि में निहित वन सम्मिलित नही है। अतः विज्ञप्ति सं0–617 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र दिनांक 29.02.2024 **(संलग्नक–7)** की संयुक्त रिपोर्ट प्रतीत है।

2– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दि0 23.07.2024 पर वन्यजीव से सम्बन्धित प्रस्तर–4, 5, 6 एवं 7 है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 2191/6ई–2–एन0जी0टी0 दिनांक 15.01.2025 द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी थी, जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट

पत्रांक–2054 / 10–1(कोर्ट केस) दि0 03.02.2025 **(संलग्नक–ब)** संलग्न कर प्रेषित पर निष्कर्ष निम्न है–

–पैरा–4 मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक–2054 / 10–1(कोर्ट केस) दि0 03.02.2025 **(संलग्नक–ब) के अनुसार उल्लेख है कि** "प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 389 / 26–11(वेलेस्पन एनर्जी) दि0 15.10.2014 द्वारा Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (Includingwiblife) सशर्त अनुमोदित किया गया है।"

–पैरा–5 मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक–2054 / 10–1(कोर्ट केस) दि0 03.02.2025 **(संलग्नक–ब) के अनुसार उल्लेख है कि** "पर्यावणीय अनुमति सम्बन्धित कार्यवाही से आच्छाचित है, जो वन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है।" अतः इस बिन्दु पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

–पैरा–6 मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक–2054 / 10–1(कोर्ट केस) दि0 03.02.2025 **(संलग्नक–ब) के अनुसार उल्लेख है कि** "कथित कय की गयी परियोजना भूमि ग्राम दादरी खुर्द, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर की सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन, उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढ़ीराम आरक्षित वन स्थित है। जिसमें वन्यजीवों का वास होना स्वभाविक है। परन्तु वन्यजीवों के स्थल विशेष सम्बन्धित कोई आकड़ें संधारित नहीं है।"

–पैरा–7 मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक–2054 / 10–1(कोर्ट केस) दि0 03.02.2025 **(संलग्नक–ब) के अनुसार उल्लेख है कि** "..........आरक्षित वन क्षेत्रों से किसी प्रकार की कटान एवं गैर वानिकी की पुष्टि नहीं हुई है।"

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर तदनुसार संलग्न प्रस्तावित शपथ–पत्र की आख्या का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें जिससे मा0 एन0जी0टी0 में अधोहस्ताक्षरी की ओर से नियत तिथि दि0 19.02.2025 से पूर्व शपथ–पत्र दाखिल किया जा सके।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

Annexure-A

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
पत्रांकः 187 /एन0जी0टी0 दिनांकःलखनऊ :जनवरी 09 2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः— माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0संख्या—883/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024

सन्दर्भः— आपके कार्यालय का कार्यालय आदेश संख्या—1426/6—ई—2एन0जी0टी0/दिनांक 25.10.2024

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित कार्यालय आदेश द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में पॉच सदस्यीय जॉच समिति का गठन करते हुए रिर्पोट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त गठित जांच समिति की रिर्पोट संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अनुराधा वेमूरी)
अध्यक्ष,
जांच समिति/प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण एवं कार्ययोजना,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in** के सम्बन्ध में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्रसंख्या–1426/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से गठित समिति प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्ययोजना की अध्यक्षता में दिनांक 02.01.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे।

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	समिति
1	श्री के० इलंगो मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त उ0प्र0	सदस्य
2	श्री नीरज कुमार मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास उ0प्र0	सदस्य
3	श्री बी० प्रभाकर मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षण अधिनियम–1980 उ0प्र0	सदस्य
4	श्री मनीष मित्तल मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल मीरजापुर	सदस्य सचिव
श्री एन रविन्द्र मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर		(विशेष आमंत्री)

बैठक में समिति की सहायता हेतु श्री अरविंद राज मिश्रा प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग व श्री कपिल कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार–मिर्जापुर वन प्रभाग द्वारा अभिलेखों सहित उपस्थित रहे।

समिति द्वारा मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024** News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024के आधार पर मा0 न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 23.07.2024 को सुनवाई के क्रम में पारित आदेश का अवलोकन किया, जो निम्नवत् है:–

1. This Original Application is registered suo-motu on the basis of the news item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in The Hindustan Times dated 03.07.2024.
2. The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh.
3. The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects.

1

4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory.
5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP).
6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originates right inside the project site.
7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980.
8. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.
9. Power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.
10. Hence, we implead following as respondents in this matter:
    (i) Principal Chief Conservator of Forest, Uttar Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow, (Uttar Pradesh)226001.
    (ii) Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow 226001, Uttar Pradesh.
    (iii) Ministry of Envieonment, Forest and Climate Change, Through its Regional Office, Integrated Regional Office, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020.
    (iv) District Magistrate, Mirzapur, Rambagh Rd, Ramaipatti, Mirzapur, Uttar Pradesh 231001.

…………

मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश में मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ग्राम–ददरी खुर्द में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा बड़े पैमाने पर वनस्पतियों की सफाई, वन भूमि से वनों की कटाई कर सड़क/मार्ग सहित अन्य निर्माण कार्य आदि बिन्दुओं पर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) से प्रतिक्रिया की अपेक्षा की गयी। उक्त के क्रम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1426/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 25 अक्टूबर 2024 द्वारा समिति का गठन किया गया, जिसकी बैठक दिनांक 29.11.2024 एवं दिनांक 02.01.2025 को योजित की गयी। बैठक में फिल्ड अभिलेखों को प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा सम्बन्धित सदस्यों द्वारा कार्यालय अभिलेखों का अवलोकन किया। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 में उल्लिखित किये गये तथ्यों पर गठित समिति द्वारा अभिलेखीय/विविध/विधिक पहलुओं पर गहन परीक्षण किया, परीक्षणोंपरान्त बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

(अ) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा–3 मे उल्लिखित

"....The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects."

मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा–3 में उल्लिखित तथ्य के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है –

जहां तक The Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 के अर्न्तगत प्रश्नगत प्रकरण को अधिनियम से आच्छादित होने का प्रश्न है, के संबंध में अवगत करना है कि the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 with Amendments made in 1988 and 2023 के अर्न्तगत धारा–1A में निम्नलिखित प्रावधान है–

1A. Act to cover certain land.—(1) The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely:—

(a) the land that has been declared or notified as a forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for the time being in force;

(b) the land that is not covered under clause (a), but has been recorded in Government record as forest, as on or after the 25th October, 1980:

Provided that the provisions of this clause shall not apply to such land, which has been changed from forest use to use for non-forest purpose on or before the 12th December, 1996 in pursuance of an order, issued by any authority authorised by a State Government or an Union territory Administration in that behalf.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "Government record" means record held by Revenue Department or Forest Department of the State Government or Union territory Administration, or any authority, local body, community or council recognised by the State Government or Union territory Administration.

(2) The following categories of land shall not be covered under the provisions of this Act, namely:—

(a) such forest land situated alongside a rail line or a public road maintained by the Government, which provides access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity up to a maximum size of 0.10 hectare in each case;
(b) such tree, tree plantation or reafforestation raised on lands that are not specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (1); and
(c) such forest land,—
(i) as is situated within a distance of one hundred kilometres along international borders or Line of Control or Line of Actual Control, as the case may be, proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security; or
(ii) up to ten hectares, proposed to be used for construction of security related infrastructure; or (iii) as is proposed to be used for construction of defence related project or a camp for paramilitary forces or public utility projects, as may be specified by the Central Government, the extent of which does not exceed five hectares in a Left Wing Extremism affected area as may be notified by the Central Government.

(3) The exemption provided under sub-section (2) shall be subject to such terms and conditions, including the conditions of planting trees to compensate felling of trees undertaken on the lands, as the Central Government may, by guidelines, specify.

प्रश्नगत प्रकरण मीरजापुर यू0पी0 थर्मल एर्नजी प्रा0 लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के मड़िहान रेन्ज के अर्न्तगत ग्राम ददरी खुर्द में प्रस्तावित 1320 मेगावाट थर्मल एर्नजी प्लान्ट से संबंधित है। ग्राम ददरी खुर्द में वन भूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है:-

1. ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा-117 के अन्तर्गत दिनांकित 11 अक्टूबर, 1952 **(संलग्नक-1)** को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या-617 में जिला मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में वन भूमि का उल्लेख मिलता है। वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.10.1952 का प्रारम्भ इस प्रकार है -"इन In exercise of the power conferred by section 117 of the U.P. Zamindari Abolition and Land 1950 (U.P. Act 1 of 1951), The Governor is pleased to declare that as from the first day of November 1952, all lands whether cultivable or otherwise except land for the time being comprising in \any holding.......... and all forest within the village boundaries, site in a circles, which have vested in state under the said Act, said subject to the exceptions shown in schedule and hereto, vest in Gaon Samaj established for the circle."

उपर्युक्त नोटिफिकेशन दो भागो में विभाजित है -

Schedule-1:- Particulars of Uncultivated land and the extent to which the shall not vest in Gaon Samaj- परन्तु इस सूची में ग्राम ददरी खुर्द का नाम नही है।

Schedule-2:- Particulars of Forest and the extent to which the shall not vest in Goun Samaj- इस सूची के पृष्ठ संख्या-1225 के क्रम संख्या-244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में क्रमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। उक्त विज्ञप्ति वर्तमान में प्रभावी है।

2. जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-357/जी0भू0व्यय0लि0/ वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019 दिनांक 01.07.2019 से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ **(संलग्नक-2)** एवं कार्यालय पत्रांक-381/जी0भू0व्यय0लि0 /वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019 दिनांक 15.07.2019 से प्रमुख सचिव, वन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ **(संलग्नक-3)** को सम्बोधित करते हुए अनुरोध किया गया कि "वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या-617 द्वारा विज्ञापित भूमि रकबा 1643 एकड़ वन अधिनियम की धारा-20 द्वारा

4

विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) के मध्य जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष भूमि बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की, के सम्बन्ध में यथोचित मार्ग दर्शन निर्गत कराने का कष्ट करें।"

3. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ के पत्र सं0–1705/81–2–2019–800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 **(संलग्नक–4)** के क्रम में प्रस्तावित परियोजना में ग्राम–ददरी खुर्द में उपयोग किये जाने वाली भूमि का सक्षम स्तर से विधिक परीक्षण कर परियोजना हेतु क्रय की गयी भूमि 1952 की विज्ञप्ति संख्या–617 से आच्छादित है अथवा नहीं, का शासनादेश सं0–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी0/2018 दिनांक 28.06.2019 के आलोक में जिलाधिकारी मीरजापुर से प्रमाण पत्र की अपेक्षा की गयी।

4. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक–924/ मीरजापुर दिनांक 03.09.2019 व पत्रांक–2585/मीरजापुर/15 दिनांक 10.01.2020 **(संलग्नक–5)** द्वारा जिलाधिकारी मीरजापुर से विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के क्रम में अनुरोध किया गया कि "ग्राम ददरी खुर्द जनपद–मीरजापुर में विज्ञप्ति संख्या–617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालांतर में धारा–20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ विज्ञापित हुई। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी0/2018, दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी ताकि यह समाधान हो सके कि वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गयी 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं।"

5. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–8B/UP/08/38/2016/FC/2167 दिनांक 12.01.2022 जो मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र को सम्बोधित है के द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में दिनांक 17.01.2022 अपरान्ह 3:30 बजे उप महानिदेशक (वन) भारत सरकार की अध्यक्षता मीरजापुर जनपद में 1320 मेगा वॉट थर्मल पावर प्लान्ट के लिए वाटर पाइप लाईन तथा एप्रोच रोड हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग विषयक परियोजना की भूमि की वैधानिक स्थिति पर स्पष्टता बैठक आयोजित की गयी, जिसमें मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ, मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में सम्बन्धित द्वारा "समस्त बिन्दुओं से अवगत होते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वन भूमि राज्य का विषय है तथा उस पर राजस्व विभाग का विधिक मत आवश्यक है। अतः आवश्यकतानुसार अध्यक्ष राजस्व परिषद उ0प्र0 की अध्यक्षता में यह प्रकरण तथा इस तरह के कई प्रकरणों जिसका बैठक में उल्लेख किया गया, एक बैठक आयोजित हो जिसमें राजस्व विभाग, वन विभाग, स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण तथा इस कार्यालय को सम्मिलित करते हुए अनुरोध किया जाये ताकि भूमि की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जा सके"।**(संलग्नक–6)**

6. शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक–1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया। सम्यक जॉचोपरान्त विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी मीरजापुर ने अपने पत्र दिनांक 29.02.2024 **(संलग्नक–7)** द्वारा उपलब्ध करायी, जिसमें कम्पनी द्वारा क्रय की गयी निजी भूमि में वन भूमि है अथवा नही के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है, जिसका उद्धृत अंश निम्नवत् है –

"..........1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग के 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या–1225 के क्रम संख्या–244 व 248 पर रकबा 800 व843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

7. शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1916/जि0भू0व्य0ली0–2023/थर्मल यू0पी0 प्रा0लि0 दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उपलब्ध करायी गयी। उक्त के क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या–3005/मीरजापुर/15 दिनांक 02 मार्च 2024 द्वारा मय संलग्नक विशेष सचिव उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ0प्र0 शासन को सम्बोधित करते हुए प्रतिलिपि मय संलग्नक अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ व मुख्य वन संरक्षक/नोडल वन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक 398/11–सी0–FP/UP/Thurmal/14236/2015 लखनऊ दिनांक 27.08.2019 के क्रम में तथा अन्य को प्रेषित की गयी। पुनः कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या–3056/मीरजापुर/15 दिनांक 05 मार्च 2024 (संलग्नक–8) द्वारा मय संलग्नक एवं मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक–4457/मी0क्षे0/35/मीरजापुर, दिनांक 15.05.2024 से नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ/ मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ (संलग्नक–9) को अग्रसारित की गयी।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20 के अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में की कार्यवाही निम्नवत् है–

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 का नोटिफिकेशन संख्या–5056/ XIV दिनांक 26 नवम्बर 1955 जारी हुआ जिसमें ग्राम ददरी खुर्द का उल्लेख नहीं है (संलग्नक–10)। नोटिफिकेशन दिनांक 26 नवम्बर 1955 के क्रम में विज्ञप्ति 5564/XIV दिनांक 27 दिसम्बर 1955 में पुनः भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 का नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके क्रम संख्या–57 पर ग्रामददरी खुर्द में 800 एकड़ की अधिसूचना जारी की गयी है, जिसमें अधिसूचित भूमि का गाटावार/क्षेत्रफल विवरण अंकित नहीं है। (संलग्नक–11)

2. पुनः दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या–23(2)–36–(ब)/14/ख–67 दिनांक 24.07.1967 (संलग्नक–12) द्वारा पूर्व विज्ञप्ति संख्या–5564/14 दिनांक 27.12.1955 में आंशिक परिस्कार करते हुए मात्र 264.76 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) का संसोधित ग्राम ददरी खुर्द का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसमें स्पष्ट रूप से गाटा/क्षे0 विवरण दिया गया हैं।

6

3. दिनांक 24 जुलाई 1967 के जारी नोटिफिकेशन में ग्राम ददरी खुर्द के गाटों का विवरण दिया गया जो निम्नवत् है–

सेड्यूल–2 की परिभाषा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	1359 फ0 खसरा के अनुसार नवैयत
Particulars of forests and the extant to which they shall not vest in Gaon Samajs	01	151 बीघा 01 बिस्वा	पथरैल
	24	131 बीघा 10 बिस्वा	पथरैल
	68	03 बीघा 02 बिस्वा	नला
	73/1	14 बीघा 15 बिस्वा	पथरैल
	74मि0	04 बीघा 00 बिस्वा	न्दी
	184	105 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	185	13 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	योग	423 बीघा 12 बिस्वा या 264.88 एकड़	

4. दिनांक 24 जुलाई 1967 का जारी विज्ञप्ति धारा–4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुरूप ही विज्ञप्ति संख्या–4646/14–2–20(41)–77 दिनांक 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटों–01 मि0, 24मि0, 73/1, 74मि, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा अर्थात 262.16 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशन हुआ। विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 (संलग्नक–13) है।
5. मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पहुँच मार्ग एवं पाईप लाईन हेतु ग्राम ददरी खुर्द में 1.6300 हे0, बरकछा खुर्द 0.0026 हे0, बरकछा कलॉं में 0. 4829 हे0, गोड़टुटवा में 0.4324 हे0, दांती में 3.1043 हे0, बेला में 1.0176 हे0, ददरी गहिरा में 1.6883 हे0, आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जो कि प्रक्रियाधीन है।
6. ग्राम ददरी खुर्द के अर्न्तगत वन स्वरूप क्षेत्र होने के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है–
कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–275/ पी0ए0/आई0ए0 (वन स्वरूप) दिनांक 20 दिसम्बर 2007 के द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में आई0ए0 संख्या–979 के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हिकरण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 19.12.2007 को आयोजित किया गया। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या–120/14–2–2008/49(एल)/04 दिनांक 18–1–2008 द्वारा जनपद मीरजापुर में चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें मीरजापुर वन प्रभाग के ग्राम ददरी खुर्द में वन स्वरूप क्षेत्र चिन्हित नहीं है। (संलग्नक–14)

आख्या–

1–जनपद मीरजापुर के मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में शासकीय निर्देशों के क्रम में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित "वन स्वरूप क्षेत्र" के रूप में कोई भी भूमि चिन्हित नहीं है।

2–मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना में ग्राम ददरी खुर्द में भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 से आच्छादित भूमि कुल 262.16 एकड़ मे से 1.63 हे0 भाग पहुँचमार्ग एवं पाइपलाइन के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। इसकी विधिवत् अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

3–उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 117 के अन्तर्गत अनुसूची 2 में ग्राम ददरी खुर्द में क्रम संख्या 244 व 248 पर क्रमशः 800 व 843 एकड़ भूमि दर्ज है, जिसके सापेक्ष भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अंतर्गत कुल 262.16 एकड़ वन भूमि अधिसूचित की गयी है।

4–इसी प्रकरण में शासन के संदर्भ के क्रम में अवशेष भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि "शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

5–विज्ञप्ति संख्या–617/XIV दिनांकित 11.10.1952 वर्तमान में भी प्रभावी है। अतः विज्ञप्ति से आच्छादित क्षेत्रफल को वन भूमि नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार ग्राम ददरी खुर्द में शासकीय विज्ञप्ति में प्रदर्शित 1643 एकड़ भूमि एवं जिलाधिकारी मीरजापुर के अनुसार वन विभाग को उपलब्ध 264.88 एकड़ भूमि के क्रम में उपजनित विसंगति को दूर करने का निर्णय सक्षम स्तर से ही लिया जा सकता है।

(ब) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा–4 में उल्लिखित

"....The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory."

के सम्बन्ध में मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के बिन्दु–4 में उल्लिखित बिन्दु का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि पर्यावरणविद् श्री देबादित्यों सिन्हा, मैनेजिंग ट्रस्टी, विन्ध्यन इकोलॉजी एण्ड नैचुरल हिस्ट्री फाउण्डेशन को मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मड़िहान रेंजों के कतिपय क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप व अन्य सर्वेक्षण हेतु प्राप्त अनुमति के क्रम में द्वारा जुलाई 2018 में मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मड़िहान रेंज के कतिपय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर Sloth Bear Conservation Reserve का प्रस्ताव बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को उपलब्ध कराया गया था, तत्पश्चात कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक–266/मीरजापुर/23 दिनांक 16.07.2018 **(संलग्नक–15)** द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान, सुकृत एवं चुनार रेंजों के अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र को प्रेषित किया गया। परन्तु वर्तमान में प्रश्नगत ग्राम ददरी खुर्द व आस–पास के वन क्षेत्रों को Sloth Bear Conservation Reserve घोषित करने विषयक् प्रस्ताव वन एवं वन्य जीव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

1. वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2X660) मेगा वाट ताप विघुत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाईप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581है0 (भूमिगत वाटर पाईप लाइन हेतु 5.8162 है0 एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 है0) आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं विभिन्न प्रजाति के 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/THE/14236/ 2015 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे

परीक्षणोंपरान्त कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 2635/मीरजापुर/15 दिनांक 07.03.2016 द्वारा संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है। उपरोक्त के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/08/38/2016/ एफ0सी0/125 दिनांक 17.09.2014 द्वारा अपर मुख्य सचिव,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों में उल्लिखित बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि–प्रमुख वन संरक्षक,वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–272/26–11 (वेलेस्पन) दिनांक 24.06.2014 द्वारा वेलेस्पन एनर्जी प्रा0लि0 परियोजना से सम्बन्धित बायोडयवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं पर परीक्षण कर मुख्य वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को प्रतिहस्ताक्षरित आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी। जिसपर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–703/मी0/33 दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से उपरोक्त के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–995/मी0/33 दिनांक 09.09.2014 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–1151/मी0/33 दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के बायोडावर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया।

उक्त के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–389/26–11 (वेलेस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा BiodiversityAssessment and Preparation of Conservation Management Plan (Includingwildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया। **(संलग्नक–16)**

2. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पत्रांक 685/एन–1 दिनांक 29 अगस्त 2024 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जॉच हेतु वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार चुर्क–सोनभद्र की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी। उपरोक्त के क्रम में कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र के कार्यालय पत्रांक 221/10–1 दिनांक 12 सितम्बर 2024 **(संलग्नक–17)** के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है–

"समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनांक 06.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मड़िहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के कार्य क्षेत्र के बाहर मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज में अवस्थित है।
2. मौके पर मौजूद वन प्रभाग मीरजापुर के कर्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।
3. प्रश्नगत स्थल पर पत्थरों की घेराबन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेराबन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।
4. निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नहीं मिला।

5. प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने–जाने के लिए कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।
6. निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ों की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।
7. प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं वहां पेड़ों का घनत्व काफी कम है।"

(स) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा–6 मे उल्लिखित

"....It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site."

कथित क्रय की गयी परियोजना भूमि मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर की सीमा से जुडे दक्षिण में दाँती आरक्षित वन, उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढीराम आरक्षित वन स्थित है। भूमि ढलान युक्त, असमतल एवं पथरीला है तथा वर्षाकाल में छोटी–छोटी स्ट्रीम्स के रूप में बहती है। वन्य जीवों के कुशल प्रबन्धन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–389/26–11 (वेलेस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा BiodiversityAssessment and Preparation of Conservation Management Plan (Includingwildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया हैं।

(द) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के अन्य पैरा–2, 5, 7, 8 एवं 9 के अतिरिक्त अन्य बिन्दु–

Para 02 of Order dated 23.07.2024 "The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh." के सम्बन्ध में:–

1. मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 में उल्लिखित तथ्यों की जाँच हेतु मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक 793/मी0/10–रिट दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तत्क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के कार्यालय आदेश दिनांक 23.08.2024 के क्रम में कुल चार कॉम्बिंग टीम का गठन करते हुए विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित स्थल व आस–पास के वन क्षेत्रों का गहन स्थलीय जाँच कराया गया। गठित टीमों द्वारा दिनांक 31.08.2024 को काम्बिंग ऑपरेशन करते हुए दिनांक 10.09.2024 को संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। **(संलग्नक–18)** जिसका अंश बिन्दु निम्नवत् है–
   1. "सघन काम्बिग में प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं पाया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा–ठूठ (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सॉ–डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
   2. सघन काम्बिग के दौरान प्रश्नगत स्थल के आस–पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
   3. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल जो कि वर्तमान में अडानी पॉवर की सहायक कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 (पूर्व में वेल्सपन एनर्जी यूपी

प्रा0लि0 के नाम से) के स्वामित्व मे है, द्वारा परियोजना भूमि को चारो ओर से घेर–बाड़ करने हेतु प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौके पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।

4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई करते हुए मौके पर ही एकत्रित किया गया है। वन भूमि/वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

5. जाँच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि में एक अस्थाई प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर–रूम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे वेल्सपन एनर्जी द्वारा वर्ष 2011–12 में सुरक्षा कर्मियों के उपयोग हेतु बनाया गया था।

6. प्रश्नगत स्थल पर पहुचने के लिए मीरजापुर–राबर्ट्सगंज (सोनभद्र) मार्ग से 1.7 किमी0 लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसों–कुनवियार वन मार्ग) है। जिसे वन विभाग द्वारा आस–पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलों पर पहुचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई में वर्षाकाल में सुलभ आवा–गमन हेतु मार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डाली गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र द्वारा गठित जॉच समिति के सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया **(संलग्नक–19)** एवं प्रकरण के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे लेख का अवलोकन सहित अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये, जिनका बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है–

1. प्रश्नगत स्थल मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में स्थित है, जिसे वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वर्ष 2011 से 2013 के मध्य विभिन्न काश्तकारो से क्रय किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 834.68 एकड़ है।

2. अगस्त 2019 में उक्त कम्पनी का विधिवत हस्तानान्तरण करते हुए अडानी इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड द्वारा समग्र रूप से अधिग्रहित कर लिया गया, जो वर्तमान में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 के नाम पंजीकृत हो गया है।

3. कम्पनी द्वारा क्रय की गयी समस्त भूमि (834.68 एकड़) को नामांतरण के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया। स्पष्ट है कि वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा क्रय की गयी भूमि (परियोजना भूमि) में आरक्षित/संरक्षित/निहित वन सम्मिलित नहीं है।

4. काम्बिग आपरेशन्स में आरक्षित वन क्षेत्र से कही भी वृक्षों के कटान की पुष्टि नहीं हुयी है।

5. कम्पनी द्वारा प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब का उपयोग कर मौके पर जो भी बाउण्ड्री कार्य कराया गया है वह परियोजना भूमि में स्थित है। आरक्षित/वन भूमि में इस प्रकार का कोई कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

11

6. कतिपय स्थलों पर बाउण्ड्री कार्य के दौरान लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाडियों की सफाई कर एकत्रित किया हुआ पाया गया, आरक्षित भूमि से लैण्टाना आदि के कटान की पुष्टि नहीं हुयी।

7. एप्रोच वन मार्ग पर लगभग 250 मीटर लम्बाई में मिट्टी डालने का कार्य किया गया था जो वर्षा के कारण लगभग बह गये है।

8. कम्पनी द्वारा परियोजना भूमि में पूर्व में निर्मित एक कमरा सुरक्षा गार्ड तथा वर्तमान में प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर रूम पाया गया। आरक्षित/वन भूमि में कम्पनी द्वारा कोई अवसंरचनात्मक कार्य किया जाना नहीं पाया गया।"

2. वन मार्ग पर मिट्टी डालने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय वनाधिकारी मड़िहान रेंज द्वारा प्रश्नगत स्थल के पास वृहत वृक्षारोपण अभियान–2024 अन्तर्गत ददरी क०न०–3 (पैच–1 व पैच–2) स्थलों पर वृक्षारोपण के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त सरसों–कुनबियार वन मार्ग पर दैनिक श्रमिकों/वाचरों की सहायता से मिट्टी डालकर समतल किया गया था।

(च) **शासकीय पत्र 417/पी0पी0एस0/ए0सी0एस0–1/2024–25 दिनांक 21.10.2024 द्वारा प्रकरण में मांगी गयी आख्या जो इस कार्यालय के पत्रांक– को0के0–1346/6 ई–2(एन0जी0टी0) दिनांक 21.10.2024 से मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर मण्डल से मांगी गयी है पर सुस्पष्ट आख्या के सम्बन्ध में–**

अपेक्षित आख्या कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या–4419/मीरजापुर/10रिट दिनांक 21 अक्टूबर 2024 (संलग्नक–20) द्वारा मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसे उपरोक्त आख्याओं में समावेशित किया गया है।

अतः मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024** News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के समादर में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2024 के क्रम में अपेक्षित आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सदस्य)
मुख्य वन संरक्षक
ईको विकास
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(सदस्य)
मुख्य वन संरक्षक
भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

2.1.2025
(सदस्य)
मुख्य वन संरक्षक
वन संरक्षण अधिनियम–1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(सदस्य/सचिव)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर मण्डल,
मीरजापुर

(अध्यक्ष)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं कार्य योजना,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Annexure-1

GAZETTE 617

FOREST DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

October 11, 1962

No. 617/XIV—In exercise of the powers conferred by section 117 of the U. P. Zamindari Abolition and Land [illegible] Act 1950 (U. P. Act I of 1951), the Governor is pleased to declare that as from the first day of Novem- [illegible] 1962—

[illegible] land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprised in any holding or grove, and

(2) all forests within the village boundaries, [illegible] in a circle, which have vested in the State under the said Act, shall, subject to the exceptions shown in Schedules I and II hereto, vest in the Gaon Samaj established for the Circle.

Schedule I

Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs

District	Tahsil	Pargana	Village	Extent to which the uncultivated land (to be demarcated) shall not vest
1	2	3	4	5
				Area in acres
[illegible] Dun	Dehra Dun	Western Dun	1. Kajarhali Bhatta	2,587
			2. Dirasal	118
		Eastern Dun	3. Dhalang	101
			4. Khurawan	183
			5. Garhi Malchak	196
			6. Gumaniwala	194
			7. Raiwala	353
			8. Badarna	201
			9. Gadul	4,255
			10. Nali	149
			11. Simyari	312
			12. Billa	245
[illegible]npur	Nakur	Gangoh	1. Ram Baikheri	166
			2. Rajpur Latifpur	179
			3. Dalsara	516
			4. Beer Kheri Musalman	238
			5. Khairaul	168
			6. Haidarpur	307
			7. Khitalpur	305
			8. Bhagpur	438
		Nakur	9. Ranipur Barsi (Alluvial)	760
		Sarsawa	10. Tajpura	122
		Sultanpur	11. Darya Barsimad	111
	Deoband	Rampur	12. Jandheri	134
[illegible]farnagar	Muzaffarnagar	Gordhanpur	1. Khanpur	386 (in Alki).
			2. Idrispur	232 (in Chakheri).
			3. Mara Baila	1,671 (in Damniwala).
			4. Farakhpur	263 (in Panehli).
			5. Farakhpur	220 (in Hastmauli).
			6. Abdipur	194
			7. Khanki	284 (in Marakhpur).
			8. Kheria	232 (in Bakuntpur).
			9. Husainpur	178
			10. Bhudauli	140 (in Dahlalpur).
			11. Kalsiya	244
			12. Jogawala	418 (in Udiawali).
			13. Burhiwala	146
			14. Barkiwala	370 (in Bhauadiwala).
			15. Almawala	124
			16. Mohamdpur	131 (in Zhinwarheri).
			17. Dharmapur	400
			18. Yahyapur	231
			19. Shelpur	283 (in Madarpur).
			20. Mahamdpur	185 (in Dhamali).
			21. Farakhpur	331
			22. Khairpur	308 (in Rickallapur).
			23. Dalawali	407 (in Shahpur Khedar).
			24. Badshahpur	306 (in Hammalpur Bado).
			25. Badshahpur	245 (in Rumasindwala).
	Kairana	Jhinjhana	26. Ragana	173
			27. Bibipur Jalalpur	296
			28. Dhaweri Khurd	473
			29. Kheri Khushnam	325
			30. Garhi Hasanpur	165
		Bidauli	31. Khadabha	849
			32. Sakauti	575
			33. Nanauta	[illegible]
			34. Dalhara	[illegible]
			35. [illegible]	[illegible]
			36. Yusufpur [illegible]	1,[illegible]

462

छाया प्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

SCHEDULE II

Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs.

District	Tahsil	Pargana	Village	Extent to which the forest is to be demarcated shall not vest
1	2	3	4	5
				Area in acres
Dehra Dun	Dehra	Pachhwa Dun (Western Dun)	1. Annfield Grant (…)	120
			2. Ambari Tea Co. Jungle	414
			3. Danda Jungle	403
			4. Langha	200
			5. Tauli	130
			6. Mohad West	2,264
			7. Barhwa	142
			8. Sarna	1,024
			9. Kadarpur	276
			10. Kedarwala	143
			11. Dhariawala	266
			12. Chharba	1,817
			13. Timlipur Jungle	2,227
			14. Ambari Jungle	283
			15. Shankarpur Hukumatpur	287
			16. Dhalani	383
			17. Harrawala	1,278
			18. Chandpur	71
			19. Dharmnagar	289
			20. Tilwari	288
			21. Jagatpur	348
			22. Bires of	348
			23. Ketra Kalyanpur	174
			24. Kunja	68
			25. Kunja Grant	128
			26. Adowala	14
			27. Malak Majri	60
			28. Timli	93
			29. Khushalpur	74
			30. Fatehpur	51
			31. Partitpur Kalyanpur	51
			32. West Hope Town	105
			33. Atak Farm	1,178
			34. Bakhtawarpur Grant	20
			35. Rajawala	73
			36. Jakhan	90
			37. Central Hope Town	600
			38. Rampur Bhowkrwala	165
			39. Chak Nangal	75
			40. Mandhowala	447
			41. Nangam	45
			42. Sudhowala	17
			43. Dholkot Khalsa	[illegible]
			44. Dandwala	46
			45. Dholkot Mafi	20
			46. Thapra	108
			47. Kandhauli	2,054
			48. Kalimpari	177
			49. Khera Santar	118
			50. Tondhi	250
			51. Amwala	163
			52. Dhulasal	16
			53. Majhaun	453
			54. Katiwali Kotri	200
			55. Sidholi	317
			56. Manas Patti	33
			57. Thana Gaon	83
			58. Kharakhet	350
			59. Khera Pachhwa	148
			60. Matianwala Kalan	185
			61. Dhanbra	408
			62. Khawai	813
			63. Rikholi	1,024
			64. Bhilsari	2,120
			65. Gangol Panditwari	83
			66. Galajwari	1,800
			67. Purohitwala	330
			68. Ghangora	70
			69. Khera Gopiwala	275
			70. Chandroti	88
			71. Jahri	40
			72. Sanaula	212
			73. Malal	131
			74. Dhak Patti	248
			75. Makreti	97
			76. Dhura Gaon	111
			77. Kiarkuli Bhatta	543
			78. Jharipani	250
			79. Bhandar Gaon	72
			80. Khala Gaon	133
			81. Singli	75
			82. Gaindal Gaon	97
			83. Salaniwala	58
			84. Marianwala	173
			85. Bisht Gaon	146
			86. Dilharipur	84
			87. Danion-ka-Danda	103

District	Pargana	No.	Village	Area in acres
Mirzapur	Kantit	215.	Paltuki	140
		216.	Somra Pratap Singh	183
		217.	Tulsi	271
		218.	Rali	213
		219.	Mendi	119
		220.	Pandaria Khurd	116
		221.	Semrai	169
		222.	Aant	874
		223.	Sherua	1,459
		224.	Mariham	309
		225.	Deori Kalan	236
		226.	Khashehar	410
		227.	Kuberi Pahheri	708
		228.	Karonda	213
		229.	Pathrer	317
		230.	Nakaura	721
		231.	Pipred	360
		232.	Hardi Kalan	1,081
		233.	Hasni	164
		234.	Hardi Misar	148
		235.	Kuberdi	160
		236.	Amoi	281
		237.	Patewar	329
		238.	Neemdih	185
		239.	Deori Duwar	284
		240.	Khandawar Mukhan	144
		241.	Deori Uttar	1,190
		242.	Hinauti Raja	334
		243.	Badauli	374
		244.	Dadri Khurd	620
		245.	Chandlewa Khurd	330
		246.	Gahara	209
		247.	Hinauti	1,224
		248.	Dadri Khurd	640
		249.	Umariya Sadar	631
		250.	Tenga	481
		251.	Garaha	681
		252.	Palhipur	159
		253.	Sagar Samar	133
		254.	Semari Meganda	153
		255.	Gopalpur	3,123
Chunar	Ahraura	256.	Baghaur, Baghauri, Kotlupur, Unarhi	633
		257.	Madanpur	564
		258.	Baghnarbaraiya	210
		259.	Dantara	10
		260.	Chhota Hinauta	3,383
		261.	Jamalpatpur Sur	4,451
		262.	Bengris Dhaboi	1,315
		263.	Lalipur, Naulipur	3,194
	Saktesgarh	264.	Lalaura, Gajadara	2,18
		265.	Rajapur Dhakauli	3,867
		266.	Nandiha Lalpur	13
		267.	Darha, Bishunpur, Matihari	1,090
		268.	Dadrala	448
		269.	Bakura	63
		270.	Chapchara	731
		271.	Barae	1,290
		272.	Somri	1,433
		273.	Nikarhe	2,353
		274.	Bijahar	127
		275.	Tilwa	149
		276.	Kocha Khurd, Kocha Kalan	1,358
		277.	Saktesgarh, Khamwa Jayasi	7,390
		278.	Marpha	252
		279.	Danauli	743
		280.	Dumihara	200
		281.	Durpur	156
		282.	Kalwari Mali	1,143
		283.	Dharawal	400
		284.	Dhanarahi	60
		285.	Kundi	120
Robertsganj	Barhar	286.	Khuthaha	116
		287.	Dumkhari	166
		288.	Basahi	128
		289.	Jali Pokhari	211
		290.	Ubap	230
		291.	Bohhani	364
		292.	Kandari	2,479
		293.	Majurah	184
		294.	Lali	200
		295.	Kirauta	335
		296.	Bishnia Gosh	143
		297.	Pipri	162
		298.	Charkhuwa	120
		299.	Katar	230
		300.	Dhurandhapur	183

Annexure-2

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

संख्या-357 /जि0भू0अ0/वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019 दिनांक 01 जुलाई 2019

विषय- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में स्थापित किये जाने वाले 1320मेगावाट थर्मल पावर प्लान्ट के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 19.06.2019 पर पृष्ठांकित अपने आदेश दिनांक 19.06.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रकरण के संबंध में वांछित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रकरण के संबंध में सादर अवगत कराना है महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2019 के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर से आख्या प्राप्त कराये जाने की अपेक्षा की गयी । उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक [illegible] दिनांक 25.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित [illegible] अवगत कराया गया कि ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के खतौनी फसली 1425-1431 [illegible] ग्राम का कुल रकबा 431.76260 है जिसमें से 104.85 हे0 भूमि [illegible] 2.[illegible] [illegible] मीरजापुर के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त 337.79526 भूमि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 के नाम और [illegible] भूमिधर श्रेणी-1(क) के रूप में दर्ज है। अवगत 1359 फसली के अनुसार ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1071 बीघा 15 बिस्वा है। उ0प्र0 सरकार, वन विभाग के गजट दिनांक 16.10.1952 के विज्ञप्ति संख्या 617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में गाटा संख्या 244 पर 800 एकड़ तथा गाटा संख्या 240 पर 633 एकड़ भूमि को विज्ञप्ति हुआ है। जिसमें [illegible] अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 800 एकड़ भूमि विज्ञप्ति संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955 द्वारा प्रकाशित हुयी। पुनः विज्ञप्ति संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 सरकार के गजट संख्या 23(2)36(4)/14-[illegible]-67 दिनांक 04.11.1967 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द के 7 गाटा रकबा 423 बीघा 17 बिस्वा [illegible] भूमि के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित हुयी। गजट दिनांक 04.11.1967 के क्रम में गजट दिनांक 14.01.1978 द्वारा अधिसूचना संख्या 4646/14-2-20(41)-77 दिनांक 20.07.1977 में ग्राम ददरी खुर्द के कुल 06 गाटा रकबा 419 बीघा 03 बिस्वा भूमि के संबंध में धारा-20 के अधीन अधिकारों पर प्रतिबंध [illegible] घोषित किया गया है। खतौनी प्रपत्र-15 में भी [illegible] कुल [illegible] 104.8526 दर्ज है जो खतौनी में भी अंकित है।

प्रकरण के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 846/[illegible] दिनांक 24.06.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर से तीन दिवस के अन्दर आख्या उपलब्ध कराये जाने की

(107)

86

अपेक्षा की गयी। उनके द्वारा नियत तिथि तक आख्या उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या 252/मि०मु०अ०वि०/भूमि/2019 दिनांक 27.06.2019 द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। उन्होंने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 5041/मीरजापुर दिनांक 28.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित किया गया जिसमें उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर के पत्र दिनांक 26.06.2019 में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुये यह उल्लिखित किया गया कि प्रस्तावित परियोजना ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के सीमा से पूरे दक्षिण में दांती आरक्षित वन (आरक्षित वन 7895.00 एकड़), उत्तर में [illegible] आरक्षित वन तथा पूरब में [illegible] आरक्षित वन (क्षेत्रफल 9309.52 एकड़) स्थित है। उक्त परियोजना तीन ओर से सघन आरक्षित वन से घिरी हुयी है। परियोजना की स्थापना के संबंध में Biodiversity Assesment and Preparition of Conservation Management Plant (including wildlife) के अनुमोदन के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 389/26-11(मिर्जापुर एनर्जी) लखनऊ दिनांक 15.10.2014 द्वारा सशर्त अनुमोदित किया गया है। मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णय दिनांक 21.12.2016 का उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि परियोजना का [illegible] [illegible] भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विचाराधीन है। मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश में [illegible] के स्तर से [illegible] की [illegible] महत्व के [illegible] में स्थिति स्पष्ट करते हुये आख्या प्रेषित किया जाना है। परियोजना की स्थापना हेतु [illegible] [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] निर्माण हेतु प्रस्तावित [illegible] मार्ग से पड़ने वाली 0.3601 हे० वन भूमि एवं पूर्व के [illegible] की अनुमति के संबंध में उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

उप जिलाधिकारी सदर एवं प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम ददरी खुर्द में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा कुल 1643 एकड़ भूमि का प्रकाशन किया गया है जबकि गांव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है। इस प्रकार 617 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत ग्राम के क्षेत्रफल से 440.50 एकड़ अधिक भूमि का प्रकाशन हुआ है। वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गजट दिनांक 27.12.1955 द्वारा 800 एकड़ भूमि की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है और गजट दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये गजट दिनांक 04.11.1967 द्वारा वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 264.75 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी जिसमें भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि वन भूमि घोषित हुयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर से अपने कार्यालय के पत्र संख्या 4599/मीरजापुर/15 दिनांक 25.05.2019 द्वारा अधोहस्ताक्षरी से इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है कि परियोजना हेतु क्रय की गयी भूमि विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि से आच्छादित नहीं है। इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० ने अपने पत्र दिनांक 13.06.2017 के साथ संलग्न किये गये प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 898/मीरजापुर/33 दिनांक 16.08.2013 के बिन्दु (ख) में दी गयी [illegible] [illegible]

617 (108)

...कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि विभाग द्वारा उपयोग हेतु जो जमीन ली गयी है या राज्य सरकार से मांगी गयी है वह आरक्षित/संरक्षित या विज्ञप्त भूमि नहीं है जबकि वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर श्री राकेश चौधरी द्वारा वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा० लि० द्वारा क्रय की गयी भूमि के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी एवं वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी के कथन में अन्तर है जिसमें से किसी एक अधिकारी का कथन ही सत्य हो सकता है। इस प्रकार वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० द्वारा क्रय की गयी 337.762हे० भूमि, वन भूमि है अथवा नहीं इसे सिद्ध करने का दायित्व वन विभाग का है।

उपर्युक्त आख्या के आधार पर प्रकरण में निम्न तथ्य विचारणीय है :-

1. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी है जबकि गांव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है ।
2. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 में विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि विज्ञापित हुयी शेष 1380.84 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुयी है।
3. वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में 834.60 एकड़ (337.792हे०) भूमि क्रय की गयी है जो तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 16.08.2013 के अनुसार वन भूमि नहीं है।
4. ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुये वन विभाग द्वारा उसे विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वन भूमि होना बताया जा रहा है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक क्रमशः 26.06.2019 एवं 20.06.2019 की छायाप्रति संलग्न कर उपर्युक्तानुसार आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि रकबा 1643 एकड़ व वन अधिनियम की धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) के मध्य जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष भूमि बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की, के संबंध में यथोचित मार्ग-दर्शन निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

Annexure-3

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव वन,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

संख्या-381 /जि0भू0व्यव0लि0/वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019 दिनांक 15 जुलाई 2019

विषयः- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में स्थापित किये जाने वाले 1320मेगावाट थर्मल पावर प्लाण्ट के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 19.06.2019 पर पृष्ठांकित मुख्य सचिव महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रकरण के संबंध में यथोचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 357/जि0भू0व्य0लि0/वेलस्पन एनर्जी-वन भसूमि/2019 दिनांक 01.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आख्या प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के संबंध में सादर अवगत कराना है महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2019 के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर से आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी । उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक 6975/एस0टी0/19 दिनांक 26.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया कि ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के वर्तमान खतौनी 1425-1431 फसली के ग्राम का कुल रकबा 495.762हे0 है जिसमें से 104.85 हे0 भूमि रक्षित वन तथा 2.180हे0 वन विभाग उत्तर मीरजापुर के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त 337.792हे0 भूमि वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी-1(क)- के रूप में दर्ज है। खसरा 1359 फसली के अनुसार ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1923 बीघा 19 बिस्वा है। उ0प्र0 सरकार, वन विभाग के गजट दिनांक 18.10.1952 के विज्ञप्ति संख्या 617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ तथा क्रमांक 248 पर 843 एकड़ भूमि के विज्ञापित हुआ है। जिसके सापेक्ष भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 800 एकड़ भूमि विज्ञप्ति संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955 द्वारा प्रकाशित हुयी। पुनः विज्ञप्ति संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 सरकार के गजट संख्या 23(2)36(ब)/14-ख-67 दिनांक 04.11.1967 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द के 7 गाटा रकबा 423 बीघा 12 बिस्वा रक्षित वन भूमि के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित हुयी। गजट दिनांक 04.11.1967 के क्रम में गजट दिनांक 14.01.1978 द्वारा अधिसूचना संख्या 4646/14-2-20(41)-77 दिनांक 20.07.1977 से ग्राम ददरी खुर्द के कुल 06 गाटा रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा भूमि के संबंध में धारा-20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये आरक्षित वन घोषित किया गया है। सर्वेक्षण प्रपत्र-15 में भी रक्षित वन का कुल क्षेत्रफल 104.85हे0 दर्ज है जो वर्तमान खतौनी में भी अंकित है।

प्रकरण के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 846/एस0टी-शि0 दिनांक 26.06.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर से तीन दिवस के अन्दर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। उनके द्वारा नियत तिथि तक आख्या उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या 352/जि0भू0व्य0लि0/भूमि/2018 दिनांक 27.06.2019 द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी । उन्होने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 5041/मीरजापुर दिनांक 28.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित किया गया जिसमें उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर के पत्र दिनांक 26.06.2019 में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुये यह उल्लिखित किया गया

कि प्रस्तावित परियोजना ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन (आरक्षित वन 7895.00 एकड़), उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढ़ीराम आरक्षित वन (क्षेत्रफल 9309.52 एकड़) स्थित है। उक्त परियोजना तीन ओर से सघन आरक्षित वन से घिरी हुयी है। परियोजना की स्थापना के संबंध में Biodiversity Assesment and Preparition of Conservation Management Plant (Including wildlife) के अनुमोदन के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 389/26-11(वेलस्पन एनर्जी) लखनऊ दिनांक 15.10.2014 द्वारा सशर्त अनुमोदित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णय दिनांक 21.12.2016 का उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि परियोजना का आनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप विचाराधीन है। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आलोक में विभाग के स्तर से क्षेत्र की पर्यावरणीय महत्व के क्रम में स्थिति स्पष्ट करते हुये आख्या प्रेषित किया जाना है। परियोजना की स्थापना हेतु भूमिगत वाटर पाईप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखइ मार्ग में पड़ने वाली 8.3581 हे0 वन भूमि एवं वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

उप जिलाधिकारी सदर एंव प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम ददरी खुर्द में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा कुल 1643 एकड़ भूमि का प्रकाशन किया गया है जबकि गाँव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है। इस प्रकार 617 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत ग्राम के क्षेत्रफल से 440.50 एकड़ अधिक भूमि का प्रकाशन हुआ है। वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गजट दिनांक 27.12.1955 द्वारा 800 एकड़ भूमि की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है और गजट दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये गजट दिनांक 04.11.1967 द्वारा वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 264.75 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी जिसके सापेक्ष वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि वन भूमि घोषित हुयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 4599/मीरजापुर/15 दिनांक 25.05.2019 द्वारा अधोहस्ताक्षरी से इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है कि परियोजना हेतु क्रय की गयी भूमि विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि से आच्छादित तो नहीं है। इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 ने अपने पत्र दिनांक 19.06.2017 के साथ संलग्न किये गये प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 698/मीरजापुर/33 दिनांक 16.08.2013 के बिन्दु (क) में श्री एस0एन मिश्रा तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया है कि वेलस्पन द्वारा उपयोग हेतु जो जमीन ली गयी है या राज्य सरकार से मांगी गयी है वह आरक्षित/संरक्षित या निजी वन नहीं है जबकि वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर श्री राकेश चौधरी द्वारा वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा क्रय की गयी भूमि के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी एवं वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी के कथन में अन्तर है जिसमें से किसी एक अधिकारी का कथन ही सत्य हो सकता है। इस प्रकार वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा क्रय की गयी 337.762हे0 भूमि, वन भूमि है अथवा नहीं इसे सिद्ध करने का दायित्व वन विभाग का है।

उपर्युक्त आख्या के आधार पर प्रकरण में निम्न तथ्य विचारणीय है :-

1. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी है जबकि गाँव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है ।
2. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 में विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि विज्ञापित हुयी शेष 1380.84 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुयी है।

3. वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में 834.68 एकड़ (337.79हे0) भूमि क्रय की गयी है जो तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 16.08.2013 के अन्तर्गत वन भूमि नहीं है।
4. ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुये वन विभाग द्वारा उसे विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वन भूमि होना बताया जा रहा है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एंव प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक क्रमशः 26.06.2019 एवं 28.06.2019 की छायाप्रति संलग्न कर उपर्युक्तानुसार आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि रकबा 1643 एकड़ व वन अधिनियम की धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) के मध्य जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष भूमि बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की, के संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

पत्र पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण के संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उनके कार्यालय के पत्र संख्या 4599/मीरजापुर दिनांक 25.05.2019 के क्रम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

Annexure-4

(90)

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 अगस्त, 2019

विषय- मे0 वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति वास्ते भूमिगत वाटर पाइपलाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3[illegible] हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मार्ग में 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-1674/81-2-2019-800(64)/2016, दिनांक 26.07.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्रांक-149/11-डी-एफपी/यूपी/थर्मल/14236/2016, दिनांक 19.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्याओं में अंकित है कि ग्राम-ददरी खुर्द, जनपद मीरजापुर में विज्ञप्ति सं0-617, दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं बन्दोबस्त में धारा-20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई। अतः 1380.84 एकड़ भूमि के संबंध में अभिलेखों की विधिवत् जांच कर प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर से आज्ञा/आदेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी [illegible] प्रतिवेदन आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि 834.68 एकड़ में वन भूमि निहित तो नहीं है?

कृपया तदनुसार विस्तृत आख्या/टिप्पणी अपनी संस्तुति सहित शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 390/11-डी-FP/UP/Thermal/14236/2015, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 27, 2019

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों सहित मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को प्रेषित करते हुये इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों एवं संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों एवं संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी, यू0पी0 प्रा0लि0, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

LT ST Page No.1174

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक 968 /मीरजापुर/ दिनांक, मीरजापुर, सितम्बर 03 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

विषय:– बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में

संदर्भ– उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1705/81–2–2019–20–800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 ।

महोदय,

बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम ददरी खुर्द जनपद मीरजापुर में विज्ञप्ति संख्या–617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी एवं कालान्तर में धारा–20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी0/2018, दिनांक 28.06.2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया अनुसार परीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है ताकि यह समाधान हो सके कि वेलेस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गयी 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

1417
33
4-9-19

भवदीय

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 924 अ/तद्दिनांक

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रतिलिपि श्री सुधीर श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि, वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 प्लाट नम्बर – 242/1 प्रयाग ताल, बबुआ का पोखरा, ब्रहमपुरी कालोनी मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर शासनादेशानुसार उपरोक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

महत्वपूर्ण

प्रेषक, संख्या– VFP-23 /14-2-2019-100 जी/2019

संजय सिंह,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांकः 28 जून, 2019

विषय– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु चिन्हित/चयनित समतुल्य गैर वनभूमि के प्रकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन को प्रेषित किये जाने वाले फारेस्ट क्लीयरेंस हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की व्यवस्थानुसार गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के बदले प्राप्त होने वाली वनीकरण हेतु गैर वनभूमि के प्रकरणों में गंभीर त्रुटियां शासन के संज्ञान में आयी हैं, जिससे प्रकरण का सम्यक निस्तारण किये जाने में कठिनाई होती है एवं प्रकरण का समयबद्ध रूप से निस्तारण सम्भव नहीं हो पाता है। इससे जहाँ एक ओर फारेस्ट क्लीयरेंस के सन्दर्भ शासन स्तर पर लम्बित प्रदर्शित होते हैं वहीं दूसरी ओर प्रस्ताव के त्रुटिपूर्ण होने के कारण भविष्य में विवाद की सम्भावनायें भी बनी रहती हैं।

2– अतः उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को प्रेषित किये जाने वाले ऐसे प्रस्तावों के संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर परीक्षण कर गैर वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव प्रमाण-पत्र पर अंकित कर प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय तथा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी उक्त का अपने कार्यालय अभिलेखों व यथा आवश्यक राजस्व अभिलेखों से परीक्षण कराते हुए प्रस्ताव को प्रमाणित करने के उपरान्त ही सुसंगत त्रुटिरहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे :–

(1) प्रस्तावित गैर वनभूमि की गाटा संख्या का सत्यापन आधार वर्ष (1359 फसली) की खतौनी एवं क्रमागत अगले फसली वर्षों की खतौनी से मिलान इस प्रकार कर लिया जाय कि प्रश्नगत गाटा संख्या वन विभाग के प्रबन्धन में दी गयी अथवा श्रेणी-5(ख)(1) की भूमि नहीं थी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4/धारा-20 में विज्ञापित नहीं है। यह भी परीक्षण कर सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत भूमि किसी प्रकार से वन के पक्ष में निर्णीत हुई हो या वन को प्राप्त हुई हो किन्तु कतिपय कारणों से राजस्व अभिलेखों में वन के खाते में इन्द्राज न हुआ हो और वह वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में किसी अन्य खाते में दर्शित हो रहा हो, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वन भूमि, गैर वन भूमि के रूप में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित न की जाय।

(2) प्रस्तावित गैर वनभूमि जिस गाँव में प्रस्तावित है यदि उक्त ग्राम में चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही हो या हो चुकी हो तो प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित जोत चकबन्दी आकार-पत्र 41 (खसरा गुणाविकल्प/तुलनात्मक खसरा) एवं जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 की प्रविष्टियों का मिलान कर लिया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि निर्विवाद रूप से गैर वनभूमि है। यदि

गाँव में चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तो प्रस्तावित गाटे के सापेक्ष पुराने गाटे की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

(3) प्रस्तावित गैर वनभूमि जिस गाँव मे प्रस्तावित है यदि उक्त ग्राम में सर्वे की प्रक्रिया चल रही हो या हो चुकी हो तो प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित सर्वेक्षण प्रपत्र–7 (फर्द मुताबिकात), सर्वेक्षण प्रपत्र–8 (खसरा मुताबिकात), सर्वेक्षण प्रपत्र–14 (पुनरीक्षित खसरा) एवं सर्वेक्षण प्रपत्र–15 (पुनरीक्षित खतौनी) की प्रविष्टियों का मिलान कर लिया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि निर्विवाद रूप से गैर वनभूमि है। यदि गाँव में सर्वे प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तो प्रस्तावित गाटे के सापेक्ष पुराने गाटे की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी गैर वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से शासन को निम्न प्रमाण–पत्र के साथ उपलब्ध करायेंगे :–

"प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या– VIP-23 /14–2–2019–190 जी/2018, दिनांक 28 जून, 2019 के प्रस्तर–2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।"

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या– VIP-23 (1)/14–2–2019 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

2– अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
(संजय सिंह)
सचिव।

Annexure-5

95 (116)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक /मीरजापुर/ 15 दिनांक, मीरजापुर, जनवरी 10, 2020

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

विषयः- वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

संदर्भ- उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1705/81–2–2019–20–800(94)/2016 दिनांक 26.08.2019 इस कार्यालय का पत्रांक–924/मीरजापुर/15 दिनांक 03.09.2019।

महोदय,

विषयक के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि ग्राम ददरी खुर्द जनपद मीरजापुर में विज्ञप्ति संख्या–817, दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी एवं कालान्तर में धारा–20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी0/2018, दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया अनुसार परीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है ताकि यह समाधान हो सके कि वेलेस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गयी 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं।

सामान्य

भवदीय

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 2585 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रतिलिपि श्री सुधीर श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि , वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 प्लाट नम्बर– 242/1 प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, ब्रहमपुरी कालोनी मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर शासनादेशानुसार उपरोक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

14/1/20

पत्र 33 20-1-2020

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

D: vandobasat file / Letter vlespan

122

भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

101

Kendriya Bhawan, 8th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: [illegible]

File No.: 8B/UP/08/38/2016/FC/481 Date: 20.01.2022

Subject: Diversion of 8.3581 ha. Reserve Forest land for Water Pipeline corridor & Approach road for Mirzapur 1320 MW Thermal Power Project (FP/UP/THE/14236/2015).

<u>Minutes of Meeting dated 17-01-2022</u>

दिनांक 17.01.2022 को अपराह्न 3.30 बजे उप महानिदेशक(वन) भारत सरकार, लखनऊ की अध्यक्षता मे मिर्जापुर जनपद मे 1320 MW थर्मल पॉवर प्लांट के लिए वाटर पाईप लाईन तथा एप्रोच रोड हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग विषयक परियोजना की भूमि के वैधानिक स्थिति पर स्पष्टता हेतु आयोजित की गई है। बैठक मे निम्न अधिकारियो द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री सुनील दुबे, मुख्य वन संरक्षक, भूमि अभिलेख एवं बंदोबस्त, लखनऊ ।
2. श्री रमेश चन्द्र झा, मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर।
3. श्री पी0एस0 त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर।
4. श्री पी0के0 शुक्ला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार।

बैठक मे प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर मे उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-117 के अन्तर्गत विज्ञप्ति सं0-617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत् वन विभाग को पृष्ठ सं0-1225 के क्रम सं0-244 पर 800 एकड़ एवं पृष्ठ सं0-1225 के क्रम सं0-246 पर 843 एकड़ भूमि शेड्यूल-II मे विज्ञापित की गई है तथा शेड्यूल-II मे निम्न उल्लिखित है **"Particulars of Forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs."**
2. यह भी अवगत कराया कि ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर एक गैर विरासी ग्राम है तथा आधार वर्ष अर्थात् 1359 फसली खसरा के मुताबिक कुल 185 बीघा 03 बिस्वा मे मात्र दो सीरदार है। धारा-4 उप धारा-1(सी) विज्ञप्ति सं0-5564 दिनांक 27 दिसम्बर 1955 द्वारा उक्त ग्राम की मात्र 800 एकड़ भूमि धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत उ0प्र0 गजट मे विज्ञापित एवं प्रकाशित की गई। पुनः आंशिक परिष्कार करते हुए विज्ञप्ति सं0-23(2)39(ब)/14-स-67 दिनांक 24 जुलाई 1967 द्वारा मात्र 423 बीघा 12 बिस्वा (264.88 एकड़) रक्षित वन धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विज्ञापित एवं

प्रकाशित की गई है। विज्ञप्ति सं0–4646/14–2–20(41)–77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा 419 बीघा 9 बिस्वा (262.29 एकड़) अन्तर्गत धारा–20 भारतीय वन अधिनियम 1927 आरक्षित वन विज्ञापित किया गया।

3. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, मिर्जापुर के पत्रांक–361/जि0भू0व्यव0लि0/वैलस्पेन एनर्जी, दिनांक 15.07.2019, उप जिलाधिकारी, सदर, जिला–मिर्जापुर के पत्रांक–6957/एस0डी0–उप जि0सं0/19 दिनांक 26.06.2019 में उल्लेख है कि खसरा 1359 फसली वर्ष के अनुसार ग्राम–ददरी खुर्द का कुल रकबा 1923 बीघा 19 बिस्वा है परन्तु उ0प्र0 जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत विज्ञप्ति–617-XIV वन विभाग (सिविल) दिनांक 11.10.1952 में शेड्यूल-II में वर्णित क्रमांक–244 पर 800 एकड़ व क्रमांक–248 पर 843 एकड़ वन के रूप में अधिसूचित है।

उपरोक्त अधिसूचित रकबे 1643 एकड़ के सापेक्ष धारा–4 भारतीय वन अधिनियम अन्तर्गत प्रारम्भ में 800 एकड़ पुनः परिस्कृत रूप में 264.65 एकड़ तथा धारा–20 भारतीय वन अधिनियम अन्तर्गत 262.29 एकड़ विज्ञापित एवं प्रकाशित की गई है। इस प्रकार 1643 एकड़ के सापेक्ष पूर्ण रूपेण अनुपालन अभी भी शेष है।

4. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0–7017/2009 में दिए गए निर्णय दिनांक 05.10.2021 के अन्तर्गत कि–

"16- ...therefore the land comprising in notification dated 11-10-1952 unequivocally vests with the state.

27-... the revenue record is not a document of title. Therefore even in the name of the lessee finds mention in the revenue record but such entry without any supporting documents of create any right title of interest....

28-.... the land vests in the forest department by virtue of notification published under a statute...."

5. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल तीन ओर से सघन आरक्षित वन से घिरा हुआ है तथा जैव–विविधता से परिपूर्ण है।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी, विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम–1950 के अनुसार धारा–4 में विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरांत धारा–117 में विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की प्रकिया की जाती है। उक्त प्रकरण में अधिसूचना सं0–617 का प्रकाशन बिना धारा चार की प्रक्रिया अपनाए किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उक्त भूमि का क्रय उत्तर प्रदेश लैण्ड सीलिंग एक्ट के अर्न्तगत विधिक रूप से पूर्ण कार्यवाई करते हुए किया गया है।

7. मुख्य वन संरक्षक, भूमि अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा पुनः इस बात पर जोर दिया गया कि क्योंकि उक्त भूमि ग्राम-दादरी खुर्द में स्थित है जो कि अधिसूचना सं0-617 के दिनांक 11.10.1952 के शेड्यूल-II में दर्शित है, जो वन के रूप में अधिसूचित है। अतः भूमि की वैधानिक स्थिति निःसंदेह वन है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि क्योंकि **Mutation does not entitle to title**, अतः भले ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त भूमि का क्रय विधिक रूप से किया गया है, परन्तु उक्त भूमि वन भूमि होने के कारण क्रय-विक्रय नहीं की जा सकती थी, अतः उनका उक्त भूमि पर कोई विधिक दावा नहीं बनता है।

8. समस्त बिन्दुओं से अवगत होते हुए सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि वन भूमि राज्य का विषय है तथा उस पर राजस्व विभाग का विधिक मत आवश्यक है, अतः आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 की अध्यक्षता में यह प्रकरण तथा इस तरह के कई प्रकरणों जिसका बैठक में उल्लेख किया गया, एक बैठक आयोजित हो जिसमें राजस्व विभाग, वन विभाग, स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण तथा इस कार्यालय को सम्मिलित करते हुए अनुरोध किया जाए ताकि भूमि की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जा सके।

बैठक धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

(डॉ0प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित आवश्यक को सूचनार्थ-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक, भूमि अभिलेख एवं बंदोबस्त, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
4. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर।
6. श्री नवनीत चड्ढा, प्रतिनिधि, वेलेस्पन एनर्जी, यू0पी0 प्रा0 लि0, मिर्जापुर, उ0 प्र0।

(डॉ0प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

शीर्ष प्राथमिकता/आवश्यक/तत्काल

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर ।

पत्रांकः- 1916 /जि0भू0व्य0लि0-2023/थर्मल0यू0पी0प्रा0लि0 दिनांकः 29 .02.2024

विषयः- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइपलाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर
वन प्रभाग, मीरजापुर ।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वार पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के संबंध में विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा-20 के अंतर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई । अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के संबंध में शासन के पत्रांक-VIP-23/14—2019-190जी/2018 दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में आख्या की अपेक्षा की गई है ।

विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के पत्र संख्या-3123/मीरजापुर/5 दिनांक 10 फरवरी 2020 व अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता, मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट केन्द्र 242/1 प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, ब्रहमपुरी कालोनी मीरजापुर के पत्र दिनांक 08.02.2024 के कम में वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में नामित कर जाँचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा किया गया ।

उपरोक्त के क्रम में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 प्राप्त की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अंतर्गत ग्राम ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना संभव नहीं था एवं वर्तमान में भी संभव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गई भूमि सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है एवं वन से आच्छादित नहीं है ।

अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 के कम में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने कष्ट करें ।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार ।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

जिलाधिकारी महोदया,

✓

शासन के पत्र संख्या–1705/81–2–2019–800(64)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 दिनांक 28 अगस्त, 2019 में की गयी प्रेच्छा–प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर एवं जिलाधिकारी मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रकियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि 834.68 एकड़ मे वन भूमि निहित तो नही है के क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के पत्र संख्या 2585/मीरजापुर/15 दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 1869/जि0भू0व्य0 लि0/गैर वन भूमि–टीम गठन/2024 दिनांक 12 फरवरी, 2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0) मीरजापुर, उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर, उपप्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर, मीरजापुर की संयुक्त टीम गठित की गयी। समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में राजस्व व वन विभाग के विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण की प्रकिया के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये –

1. दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द ग्राम में तथाकथित वन भूमि का उल्लेख मिलता है। वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.10.1952 का प्रारम्भ इस प्रकार है–"In exercise of the power conferred by section 117 of the U.P. Zamindari Abolition and Land 1950 (U.P. Act I of 1951), the Governess is pleased to declare that as from the first day of November 1952, all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprising in any holding ....and all forest within the village boundries, site in a circles, which have vested in state under the said Act, shall subject to the exceptions shown in schedule and hereto. vest in Gaon Samaj established for the circle.

उपर्युक्त नोटिफिकेशन दो भागों में विभाजित है–

Sehedule-1 :- Particulars of uncultivated Land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs – परन्तु इस सूची में ददरी खुर्द का नाम नही है।

Sehedule-2 :- Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs.

इस सूची के पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के संदर्भ में क्रमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। दिनांक 18.10.1952 का वन विभाग का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक–1 है।

2. तत्पश्चात् वन विभाग की धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर, 1955 में जारी हुआ, जिसमें ग्राम ददरी खुर्द का उल्लेख नहीं है। दिनांक 26 नवम्बर 1955 का नोटिफिकेशन संलग्नक–2 है।

3. वन विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर 1955 के धारा 4 के संबंध में जारी नोटिफिकेशन के क्रम में विज्ञप्ति 5564/XIV

दिनांक 27 दिसम्बर 1955 में पुनः धारा 4 का अग्रिम नोटिफिकेशन जारी हुआ। जिसके कम संख्या 57 पर ग्राम ददरी खुर्द के संबंध में मात्र 800 एकड़ भूमि का नोटिफिकेशन है, जिसकी सीमा दक्षिण दांती वन पश्चिम ददरी खुर्द व ददरी गहिरा की कृषिक भूमि व उत्तर सुखनई वन व पूरब दाढीराम वन है। दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का धारा–4 का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक–3 है।

4. पुनः वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14–ख–67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। दिनांक 24 जुलाई 1967 के जारी नोटिफिकेशन में ग्राम ददरी खुर्द के गाटों का विवरण दिया गया जो निम्नवत् है:–

शेड्यूल–2 की परिभाषा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	1359फ0 खसरा के अनुसार नवैयत
Particulars of forests and the extant to which they shall not vest in Gaon Samajs	01	151 बीघा 01 बिस्वा	पथरैल
	24	131 बीघा 10 बिस्वा	पथरैल
	68	03 बीघा 02 बिस्वा	नाला
	73/1	14 बीघा 15 बिस्वा	पथरैल
	74मि0	04 बीघा 00 बिस्वा	नदी
	184	105 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	185	13 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	योग	423 बीघा 12 बिस्वा या	264.88 एकड़

इस प्रकार वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के शेड्यूल–2 की परिभाषा एवं 1967 मे धारा–4 मे प्रकाशित ददरी खुर्द के वन भूमि का विवरण एवं 1359फसली खसरा (वर्ष 1952) मे भूमि की प्रकृति से स्पष्ट है कि 1359 फसली खसरे मे पथरैल, नदी, पहाड व नाला की भूमि ही वन भूमि के रूप मे प्रकाशित की गयी थी। जो तत्समय मे वन भूमि के रूप मे थी। दिनांक 24 जुलाई 1967 का नोटिफिकेशन संलग्नक–4 है।

5. दिनांक 24 जुलाई 1967 का जारी विज्ञप्ति धारा–4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुरूप ही विज्ञप्ति संख्या 4646/14–2–20(41)–77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटों–01मि0, ,24मि0 ,73/1, 74मि, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा अर्थात 262.29 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशन हुआ। विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 संलग्नक–5 है। इसी धारा 20 के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी में 264.23 एकड़ अर्थात 107.030 हे0 रकबा वन विभाग के नाम दर्ज है। वर्तमान खतौनी संलग्नक–6 है।

जहाँ तक वन विभाग द्वारा जारी 1952 की विज्ञप्ति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में वन विभाग व राजस्व विभाग मे उपलब्ध अभिलेखो का परीक्षण किया गया, जिसमे निम्नलिखित तथ्य प्रकटित हुए :–

(क) वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के पृष्ट संख्या 1225 के क्रमांक 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे क्रमशः 800 एकड़ व 843 एकड़ क्षेत्रफल का उल्लेख है। जो कि कुल मिलाकर 1643एकड़ हो जाता है।

राजस्व विभाग के उपलब्ध अभिलेख 1306फ0 के खेवट मे भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

भूमि का प्रकार	कुल रकवा
परती जजीद व परती कदीम	432.84 एकड़
तालाब	1.18 एकड़
नदी नाला	16.93 एकड़
पथरैल	196 एकड़
जंगल	107.40 एकड़
पहाड़	77.15 एकड़
काश्तकारी भूमि	347.38 एकड़

इस प्रकार 1306फसली खेवट मे तालाब, नदी, नाला, पथरैल व पहाड की भूमि का कुल 291.26 एकड़ है। इसी प्रकार 1334फ0 के खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकवा 1202.5 एकड़ है, जिसमे 229.375 एकड़ भूमिधरो के नाम तथा 179.375 एकड़ सीरदारो के नाम भूमि है। तहसील अभिलेखागार में 1359 फसली की खतौनी नहीं मिली परन्तु अभिलेखागार मे उपलब्ध 1359फ0 के खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकवा 1209.562 एकड़ है। जिसमे सीर काश्तकार 118.025 एकड़, बजंर 803.718 एकड़, पथरैल 193.062 एकड़, बाध 1.5 एकड़ व रास्ता 0.25 एकड़ व तालाब 1.187 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व पहाड़ 74.5 एकड़ भूमि है। 1359फ0 खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1209.562 एकड़ है। अतः राजस्वं अभिलेख 1306फसली खेवट, 1334फसली खसरा व 1359फसली खसरा से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन मे उल्लिखित वन भूमि का कुल रकवा 1643 एकड़ त्रुटिपूर्ण है। यह किसी भी स्थिति मे राजस्व ग्राम के कुल रकबा 1209.562 एकड़ से अधिक नही हो सकता।

ख. जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध अभिलेख 1362फ0 की खतौनी का परीक्षण किया गया जो जीर्ण–शीर्ण है। जिसमे कुछ खातो का विवरण उपलब्ध है। इस खतौनी मे श्रेणी–02 – जो सीरदारो के अधिकार मे है, कुल 168गाटा कुल रकबा 901.875 एकड़ पर सीरदारो का नाम अंकित है। जिसपर भौमिक वर्ष 01वर्ष लिखा गया है। जिसका अर्थ यह है कि 1362फ0 खतौनी के निर्माण वर्ष 1955 से 01वर्ष पूर्व 1954 से ही उक्त भूमि 901.875 एकड़ सीरदारो के अधिकार मे थी। अतः स्पष्ट है कि तत्समय नदी, नाला, पहाड़ व पथरैल क़ी भूमि जो 1952 नोटिफिकेशन के सेड्यूल–2 Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. के रूप मे परिभाषित है जिसका रकबा मात्र 264 एकड़ ही है।

ग. वन विभाग के दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ट संख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर रकवा क्रमशः 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ को सेड्यूल 02 मे रखा गया है तथा सेड्यूल 02 को परिभाषित

करते हुए कहा गया है कि – Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. अर्थात उस भूमि का विवरण जो ग्राम सभा मे नही है तथा तत्समय वन के रूप मे है। राजस्व विभाग का 1359फ0 खसरा जमींदारी विनाश अधिनियम के समय तैयार किया गया आधार वर्ष खसरा है खसरा वह राजस्व दस्तावेज है जो प्रति कृषि वर्ष भूमि की प्रकृति, उसपर लगी फसल, भूमि का स्वामित्व आदि प्रदर्शित करता है। 1359फ0 के खसरा मे 803.718एकड़ बजंर भूमि दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त बजर भूमि रकवा 803.718एकड़ वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के सेड्यूल–2 के अन्तर्गत नही हैं। 1359फ0 खसरा मे 803.718 एकड़ रकवा बजर भूमि होना यह प्रदर्शित करता है कि तत्समय उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया था। किन्तु इस का अर्थ यह नही है कि उक्त भूमि तत्समय किसी स्वामित्व के अन्तर्गत नही थी। 1359फ0 खसरा मे पथरैल भूमि का रकवा 193.162 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व नाला 6.375 एकड़ व पहाड 74.5 एकड़ कुल रकवा 284.599 एकड़ था।

घ. वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14–ख–67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये गाटा संख्या 1, 24, 68, 73/1, 74.मि, 184, 185 कुल रकवा मात्र 264 88 एकड़(423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1366 से 1368फसली खतौनी मे उक्त गाटो का विवरण व नवैयत निम्नवत् है–

गाटा संख्या	क्षेत्रफल	नवैयत
1	151बीघा 1बिस्वा	पथरैल
24	131बीघा 10बिस्वा	पथरैल
68	3बीघा 2बिस्वा	नाला
73/1	14बीघा 15बिस्वा	पथरैल
74मि0	9बीघा 14बिस्वा	नदी
184	105बीघा 12बिस्वा	पहाड
185	13बीघा 12बिस्वा	पहाड
योग–	429 बीघा 6बिस्वा या 268.31 एकड़	

उपरोक्त गाटो मे से गाटा संख्या 1,24,73/1, 74,184 व 185 कुल रकवा 423बीघा 12बिस्वा अर्थात 264.88 एकड़ की विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 विज्ञप्ति संख्या 4646/14–02–20 (41)–77 भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ। जिससे स्पष्ट है कि वन विभाग के 1977 के धारा–20 के प्रकाशन मे केवल पथरैल व नदी व पहाड़ की ही भूमि का प्रकाशन किया गया था। जिसमे पूर्व की किसी भी बजर भूमि या सीरदारो की भूमि का प्रकाशन नही था। वन विभाग की धारा–20 की विज्ञप्ति के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी मे भी भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

वर्तमान गाटा संख्या	क्षेत्रफल. हेक्टेयर मे	पुराना नम्बर
1	13.800हे0	1मि
2	13.380हे0	1मि
3	4.750हे0	1मि
4क	6.000हे0	1मि
4ख	0.250हे0	1मि
5	16.700हे0	24मि
6	10.400हे0	25मि
23छ	2.010हे0	73मि
30	1.750हे0	73मि
31ख	1.010हे0	74मि
32	0.170हे0	68मि
53	6.150हे0	24मि
74	0.450हे0	68मि
198छ	1.310हे0	131मि
219	9.050हे0	184मि
232	9.000हे0	184मि
233	8.000हे0	184मि
234	2.850हे0	185
योग	107.030हे0 अर्थात 423 बीघा 3बिस्वा 3धूर अर्थात 264.23 एकड़	

उक्त से स्पष्ट है कि धारा–20 के प्रकाशन के समय मात्र 264.88 एकड़ भूमि ही वन भूमि थी। जो 1952 के नोटिफिकेशन मे प्रकाशित कुल रकवा 1643एकड़ की सत्यता को संदिग्ध करता है।

च. जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा–117– कुछ भूमि आदि का ग्रामसभाओ तथा अन्य स्थानिक अधिकारियो मे निहित होना–धारा–01, धारा–04 मे उल्लेखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी समय, राजस्य सकार, (सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा) यह प्रख्यापित कर सकती है कि तदर्थ विनिर्दिष्ट किये जाने के दिनांक से निम्न लिखित सभी या कोई वस्तु अर्थात–

(1) तत्समय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोडकर सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नही,
(2) जंगल,
(3) स्रोत मे अथवा जोत की मेड पर या बाग अथवा आबादी मे स्थित पेडो को छोडकर सभी पेड,
(4) मीनाशय
(5) ऐसी भूमि जिनपर धारा–18 की उपधारा 1 के खण्ड क से ग के उपबन्द लागू होते हो अथवा धारा–9 मे उल्लेखित स्थलो तथा क्षेत्रो पर लगने वाले हाटो, बाजारो और मेलो से भिन्न हाट, बाजार और मेले,
(6) तालाब, पोखर, निजी नाव घाट, जल प्रणालिया, रास्ते व आबादी के स्थल

जो इस अधिनियम मे अधीन राज्य मे निहित हो गये हो, उस सम्पूर्ण गाव या उसके भाग के लिए जिसमे उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित ग्राम सभा या किसी अन्य अधिकारिकी मे अथवा एक ऐसे स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत ग्राम सभा भी है), और अंशतः दूसरे मे निहित हो जायेगे।

उक्त से स्पष्ट है कि धारा–117 की उपधारा–2 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियो पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके क्रम मे वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा–20 के अन्तर्गत श्रेणी–6 की भूमि नदी, पथरैल व पहाड़ की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359फसली खसरा मे बंजर भूमि जिसका रकवा 803.718एकड़ है, उक्त भूमि 1362फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख मे वर्ष 1954 से ही सीरदारो के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नही है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति मे ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ट संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकवा 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 मे निहित/प्रदत्त शक्तियो से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 मे उपरिलिखित 6 श्रेणियो की भूमि मे नही आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.86) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नही था एवं वर्तमान में भी सम्भव नही है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नही है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।

तहसीलदार सदर,
मीरजापुर

उप जिलाधिकारी सदर,
मीरजापुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुनार, मीरजापुर

अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0)
मीरजापुर
23/03/2021

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर

Annexure-8

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 3056 /मीरजापुर/15 दिनांक मीरजापुर मार्च 5, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय– वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–1– विशेष सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या–1705/81–2–2019–800(64)/2016 लखनऊ दिनांक 26.08.2019।

2– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संख्या–398/11–सी–FP/UP/THERMAL/14236/2015, दिनांक 27.08.2019।

3– आपका पत्रांक– 990/मी0/33 दिनांक 29.08.2019।

महोदय,

वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर मे प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, जनपद–मीरजापुर में विज्ञप्ति सं0–617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा–20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में अभिलेखों की विधिवत जांच कर प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 26.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलेस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि 834.68 एकड़ में वन भूमि निहित तो नहीं है।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे शासन द्वारा विस्तृत आख्या/टिप्पणी की अपेक्षा की गयी। उक्त के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या/टिप्पणी हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 924/मी0/15 दिनांक 03.09.2019 एवं पत्रांक 2585/मी0/15 दिनांक 10.01.2020 द्वारा जिलाधिकारी, मीरजापुर से अनुरोध किया गया। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक 1869 दिनांक 12.02.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू–राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में नामित कर जांचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन किया गया।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 1916/जि0भू0व्य0लि0–2023/थर्मल ए0 यू0 पी0 प्रा0लि0/दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक–1) द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट/विस्तृत

136

आख्या/टिप्पणी उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उल्लिखित है कि "धारा–117 की उपधारा–2 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियो पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके क्रम में वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा–20 के अन्तर्गत श्रेणी–6 की भूमि नदी, पथरैल व पहाड़ की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम–ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या–1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकवा 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनदेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नही था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्नकर संस्तुति सहित मय संलग्न को संलग्नकर 04 प्रतियो में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 3056 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, महोदया मीरजापुर को उनके पत्र संख्या–1916/जि0भू0व्य0लि0–2023/थर्मल ए0यू0पी0प्रा0लि0/दिनांक 29.02.2024 एवं पत्रांक–1917/जि0भू0व्य0लि0–2023/थर्मल ए0 यू0 पी0 प्रा0लि0/दिनांक 29.02.2024 के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

Annexure-9

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 4457 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, मई, 15– 2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर,जनपद–मीरजापुर मे प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– 1–विशेष सचिव उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्रांक–1705/81–2–2019–800(64)/2016 लखनऊ दिनांक 26.08.2019
2–आपका पत्रांक–398/11–सी– FP/UP/Thermal/14236/2015 दिनांक 27.08.2019
3–प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर का पत्र संख्या–3056/मीरजापुर/15 दिनांक 05.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध मे उ0प्र0 शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 26.08.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–3056/मीरजापुर/15 दिनांक 05.03.2024 (छाया प्रति संलग्न) है, द्वारा आख्या मय अभिलेखीय साक्ष्य सहित संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्नगत प्रकरण आख्या एतद सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सन्दीप मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या– 4457/अ/सदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को उ0प्र0, शासन के सन्दर्भित पत्र के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रस्नगत प्रकरण की आख्या एतद सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक,भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0,लखनऊ को उ0प्र0, शासन के सन्दर्भित पत्र के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रस्नगत प्रकरण की आख्या एतद सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को सन्दर्भित पत्र क्रम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(सन्दीप मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

वन विभाग

विज्ञप्ति

[illegible]

सं० [illegible] — इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ [illegible] [illegible]

[illegible]

जिला मिर्जापुर

क्रम-संख्या	तहसील	परगना	गाँव	ब्लाक नं०	ब्लाक की चौहद्दी	क्षेत्रफल एकड़ों में	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१	राबर्ट्सगंज	विजयगढ़	[illegible]	१	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
२	"	"	[illegible]	२	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
३	"	"	"	३	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
४	"	"	[illegible]	४	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	

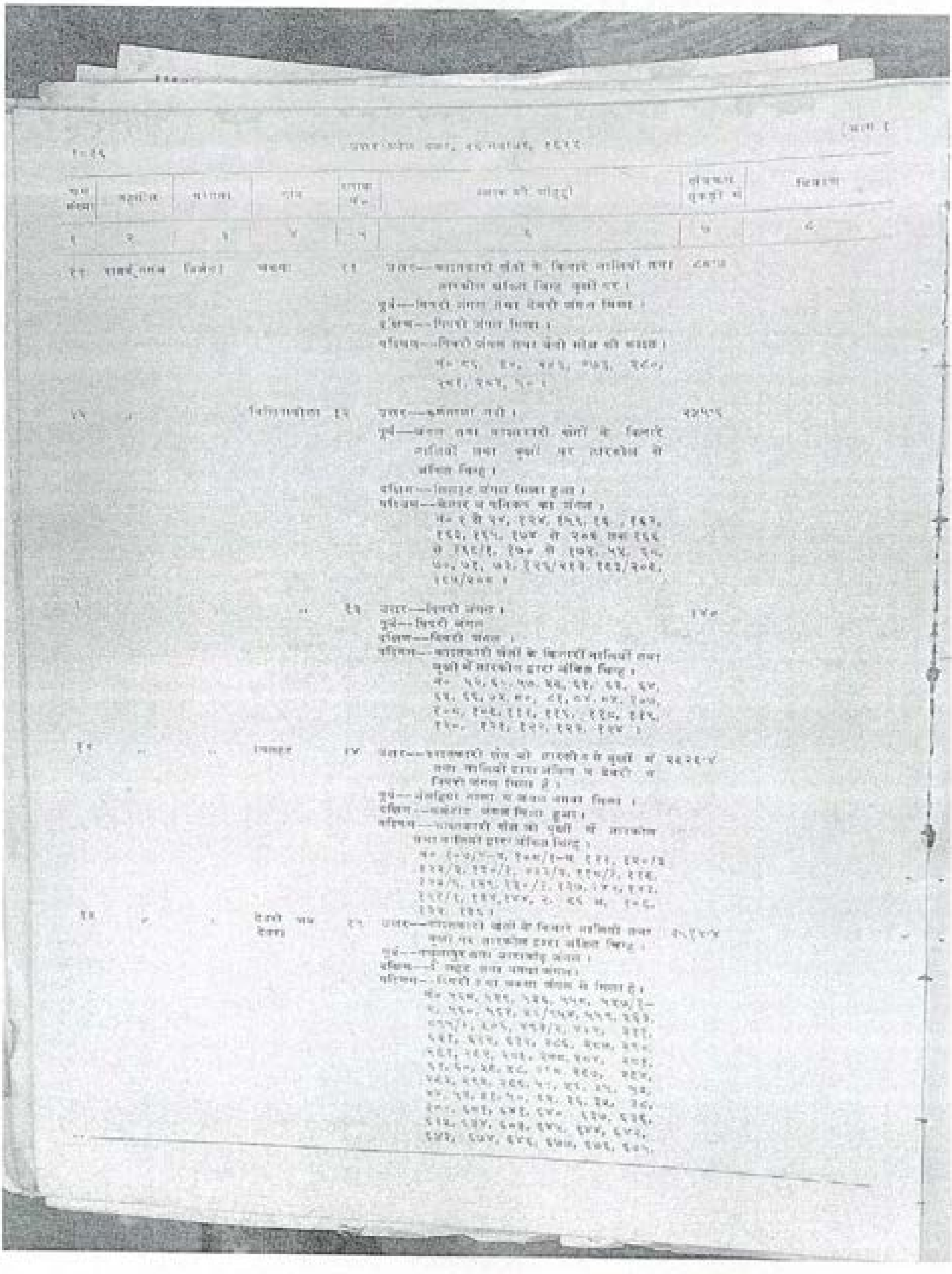

क्रम संख्या	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा नं०	[illegible]	क्षेत्रफल एकड़ों में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
					[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible] [illegible]	[illegible]	
[illegible]	..	..	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
[illegible]	..	..	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
[illegible]	..	..	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
[illegible]	..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible] [illegible]	[illegible]	
[illegible]	..	..	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible] [illegible]	[illegible]	
[illegible]		..	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible] [illegible]	[illegible]	

क्रम-संख्या	तहसील	परगना	ग्राम	ब्लाक सं०	ब्लाक की चौहद्दी	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]		
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]		
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible] [illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible] [illegible]		
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible] [illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]		
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible] [illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible] [illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	—	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible] [illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	विवरण
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible] दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] पूर्व—[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्रम-संख्या	तहसील	परगना	गाँव	प्लाट नं०	प्लाट की चौहद्दी	क्षेत्रफल एकड़ों में	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८
					दक्षिण—[illegible] पश्चिम—[illegible]		[illegible]

क्रम-संख्या	तहसील	परगना	ग्राम	मैप प्लाट नं०	क्षेत्र की चौहद्दी	क्षेत्रफल एकड़ों में	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
							[illegible]
४	मिर्जापुर	[illegible]	दुधिया	४	उत्तर—दुधिया की [illegible] मिर्जापुर [illegible] पूर्व—दुधिया के नं० [illegible] नदी की [illegible]	[illegible]	[illegible]

क्रम-संख्या	तहसील	परगना	ग्राम	चक नं०	चक की चौहद्दी	क्षेत्रफल एकड़ों में	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
					दक्षिण—कुड़िया की दक्षिणी सीमा [illegible] के साथ। पश्चिम—कुड़िया की पश्चिमी सरहद [illegible] के साथ।		
५	[illegible]	[illegible]	[illegible]	५	उत्तर—[illegible] तथा [illegible] के खेतों की नं० [illegible]। पूर्व—[illegible] की पूर्वी सरहद [illegible] के साथ। दक्षिण—[illegible] की दक्षिणी सरहद [illegible] के साथ। पश्चिम—[illegible]। [illegible]	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं—[illegible]
६	„	„	[illegible]	६	उत्तर—[illegible] ग्राम की सीमा। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा। दक्षिण—नं० [illegible]। पश्चिम—[illegible] तथा ग्राम [illegible] के खेतों का नं० [illegible]।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं—[illegible]
७	„	„	[illegible]	७	उत्तर—[illegible] ग्राम की सीमा। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा। दक्षिण—नं० [illegible]। पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमा है।	[illegible]	इस चकबन्दी के अन्दर कोई [illegible] नहीं आता :—
८	„	„	[illegible]	८	उत्तर—नं० [illegible]। पूर्व—[illegible] की सीमायें हैं। दक्षिण—[illegible] ग्राम तथा [illegible] ग्राम की सीमायें हैं। पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमा है।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं :—[illegible]
९	„	„	[illegible]	९	उत्तर—[illegible] ग्राम और [illegible] ग्राम [illegible] की सीमायें हैं। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा है। दक्षिण—नं० [illegible] है। पश्चिम—नं० [illegible] तथा [illegible] ग्राम की सीमा है।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं :—[illegible]

[illegible]

क्रम-संख्या	तहसील	परगना	ग्राम	[illegible] नं०	[illegible] की चौहद्दी	[illegible]	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१०	मिर्जापुर	[illegible]	[illegible]	१०	उत्तर—[illegible] और [illegible] ग्रामों की सीमायें हैं। पूर्व—[illegible] तथा [illegible] ग्रामों की सीमायें हैं। दक्षिण—नं० [illegible] [illegible]। पश्चिम—[illegible] और [illegible] ग्राम की सीमायें हैं।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं :— [illegible]।
११	"	"	[illegible]	११	उत्तर—[illegible] तथा [illegible] ग्रामों की सीमायें। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा। दक्षिण—[illegible] और [illegible] ग्रामों की सीमायें हैं। पश्चिम—[illegible] ग्राम तथा [illegible] ग्रामों की सीमायें हैं।	[illegible]	
१२	"	"	[illegible]	१२	उत्तर—[illegible] ग्राम सीमा। पूर्व—ग्राम [illegible] की सीमा है। दक्षिण—नं० [illegible]। पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमा।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं :— [illegible]।
१३	"	"	[illegible]	१३	उत्तर—[illegible] ग्राम की सीमा। पूर्व—ग्राम [illegible] की सीमा है। दक्षिण—नं० [illegible]। पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमा तथा [illegible] ग्राम की सीमा है।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं :— [illegible]।
१४	"	"	[illegible]	१४	उत्तर—[illegible] ग्राम की सीमा है। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा है। दक्षिण—नं० [illegible] तथा [illegible] ग्राम की सीमा है। पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमा है।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं :— [illegible]।
१५	"	"	"	१५	उत्तर—नं० [illegible]। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा है। दक्षिण—[illegible] ग्राम की सीमा है। पश्चिम—नं० [illegible]।	"	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं :— [illegible]।
१६	"	"	[illegible]	१६	उत्तर—नं० [illegible]। पूर्व—ग्राम [illegible] की सीमा है।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं :— [illegible]।

क्रम-संख्या	तहसील	परगना	ग्राम	चक नं०	चकों की चौहद्दी	क्षेत्रफल एकड़ों में	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
					दक्षिण—जमाई और [illegible] ग्राम की सीमायें हैं। पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमा।		
१७	मिर्जापुर	भदोही	[illegible]	१७	उत्तर—नं० [illegible]। पूर्व—नं० [illegible]। दक्षिण—ग्राम [illegible] की सीमा तथा चक नं० [illegible]। पश्चिम—नं० [illegible]।	[illegible]	
१८	"	"	"	१८	उत्तर—जमोई ग्राम की सीमा। पूर्व—जमोई ग्राम की सीमा। दक्षिण—नं० [illegible]। पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमा।	[illegible]	
१९	"	"	[illegible]	१९	उत्तर—ग्राम [illegible] तथा [illegible] ग्रामों की सीमायें हैं। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा है। दक्षिण—नं० [illegible]। पश्चिम—ग्राम [illegible] की सीमा।	[illegible]	
२०	"	"	[illegible]	२०	उत्तर—[illegible] ग्राम की सीमा। पूर्व—जमोई और [illegible] ग्रामों की सीमायें। दक्षिण—नं० [illegible]। पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमा।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं :— [illegible]
२१	"	"	"	२१	उत्तर—[illegible] की पक्की सड़क। पूर्व—नं० [illegible]। दक्षिण—[illegible] ग्राम की सीमा तथा चक नं० ([illegible]) [illegible]। पश्चिम—नं० [illegible]।	[illegible]	
२२	"	"	"	२२	उत्तर—नं० [illegible]। पूर्व—नं० [illegible]। दक्षिण—[illegible]। पश्चिम—[illegible] तथा नं० [illegible]।	[illegible]	
२३	"	"	[illegible]	२३	उत्तर—ग्राम [illegible] की सीमा तथा ग्राम [illegible] की सीमा है। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा तथा नं० [illegible]। दक्षिण—नं० [illegible]। पश्चिम—नं० [illegible]।	[illegible]	चक संख्या [illegible] में दो [illegible]

[illegible]

शुद्धि-पत्र

२१ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० [illegible]—[illegible] २६ मार्च, १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश के हिन्दी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० [illegible], दिनांक २१ मार्च, १९५५ के परिशिष्ट में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय :—

क्रम-संख्या	प्रकाश्य संख्या	के स्थान पर	पढ़ा जाय
१	२	३	४
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

आज्ञा से,
[illegible],
सेक्रेटरी।

शिक्षा विभाग

छुट्टी

२१ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० [illegible]—कुमारी [illegible], [illegible] विद्यालय निरीक्षिका, द्वितीय मंडल, बरेली को जिला [illegible] उत्तर प्रदेश द्वारा [illegible] दिन की छुट्टी के [illegible] दिनांक [illegible] सितम्बर से [illegible] नवम्बर, १९५५ ई० तक [illegible] की छुट्टी प्रदान की गई।

नियुक्ति

२२ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० [illegible]—कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से निम्नलिखित अधिकारियों को एल० टी० ग्रेड (वरिष्ठ) वेतन-क्रम में उनके सम्मुख लिखे हुये विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

नाम तथा पद	विद्यालय का नाम	रिमार्क
१—श्री [illegible] मिश्र, सहायक अध्यापक, राजकीय [illegible] कालेज, [illegible]	राजकीय नार्मल स्कूल [illegible]	श्री [illegible] के स्थानान्तरित होने पर।
२—श्री [illegible]	राजकीय नार्मल स्कूल [illegible]	श्री [illegible] के स्थान पर
३—श्री [illegible]	राजकीय नार्मल स्कूल [illegible]	श्री [illegible] के नियुक्त होने पर।

२६ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० [illegible]—कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के स्थानापन्न अतिरिक्त सचिव श्री [illegible], जो एल० टी० ई० एस० [illegible] वेतन-क्रम में हैं, बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की [illegible] के सचिव के पद पर [illegible] स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया।

२१ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० [illegible]—दिनांक [illegible] सितम्बर, १९५५ से कुमारी [illegible], प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका [illegible] कालेज, बरेली को, जो एल० टी० ई० एस० [illegible] वेतन-क्रम में हैं, कुमारी [illegible] के छुट्टी पर रहने पर उनके स्थान पर बालिका विद्यालय निरीक्षिका, द्वितीय मंडल, बरेली के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त की गई हैं।

सं० [illegible]—दिनांक [illegible] सितम्बर, १९५५ से श्रीमती [illegible], सहायक अध्यापिका, राजकीय [illegible] कालेज, बरेली को, उसी कालेज में कुमारी [illegible] के स्थान पर प्रधानाध्यापिका के पद पर एल० टी० ई० एस० [illegible] वेतन-क्रम में स्थानापन्न रूप से नियुक्त की गई हैं।

सं० [illegible]—श्रीमती [illegible], सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका [illegible] स्कूल, [illegible] ने कुमारी [illegible] के स्थान पर, उसी स्कूल की प्रधानाध्यापिका के पद पर एल० टी० ई० एस० (वरिष्ठ) में दिनांक [illegible] सितम्बर, १९५५ ई० से [illegible], १९५५ ई० तक स्थानापन्न रूप से कार्य किया।

सं० [illegible]—विज्ञप्ति सं० [illegible], दिनांक २१ जून, १९५५ ई० के अनुक्रम में श्री [illegible], प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, अल्मोड़ा ने श्री [illegible] के स्थानान्तरण पर तारीख [illegible] जनवरी से [illegible] मार्च, १९५५ ई० तक अपने कार्य के अतिरिक्त जिला विद्यालय निरीक्षक, अल्मोड़ा के पद का भार भी धारण किया।

विविध

२१ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० [illegible]—यह प्रतिज्ञा-पत्र, जो नीचे छापा गया है और जिसे [illegible] जूनियर हाई स्कूल, [illegible] ([illegible]) ने [illegible] एन्डोमेन्ट्स ऐक्ट, १८९० ई० के भाग [illegible] (सन् [illegible] ई० की ऐक्ट संख्या [illegible]), जैसा कि यह [illegible] एन्डोमेन्ट्स अमेन्डमेंट ऐक्ट, [illegible] ई० ([illegible] ई० की ऐक्ट सं० [illegible]) द्वारा संशोधित हुआ है, के आदेशों के अनुसार लिखा है, उक्त ऐक्ट की धारा [illegible] के अधीन सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

प्रतिज्ञा-पत्र

यह प्रतिज्ञा-पत्र, जो [illegible] नवम्बर, १९५५ ई० को गवर्नर महोदय, उत्तर प्रदेश (जो इसके पश्चात् "गवर्नर महोदय" लिखे जायेंगे) [illegible] और [illegible] जूनियर हाई स्कूल, [illegible] ([illegible]) [illegible], जिसकी रजिस्ट्री सोसाइटीज रजिस्ट्री के ऐक्ट ([illegible] २१, १८६० ई०), को इसके पश्चात् "[illegible]" लिखी जायगी, के अधीन हुई है, इसके [illegible] के मध्य में लिखा गया।

Annexure-11

FOREST DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

December 27, 1955

Andri Khurd on page no. 6 S.No. 57

No. 5564/XIV.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act (XVI of 1927) and in continuation of notification no. 5056/XIV, dated November 12, 1955, the Governor is pleased to declare that it has been decided to constitute the land shown in the subjoined Schedule in Mirzapur District reserved forests.

Under section 4(c) of section 4 of the said Act, the Sub-Divisional Officers of the sub-divisions concerned are hereby appointed Forest Settlement Officer and under section 17 of the said Act, the Additional Commissioner, Banaras Division, is empowered to hear appeals from the orders of the Forest Settlement Officers.

Schedule

Tahsil	Pargana	Village	Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks
2	3	4	5	6	7	8
District Mirzapur						
Mirzapur ..	Kantit	.. Rampur Machna ..	24	South—Uttar Dausi Forest .. West—Fields of Uttar Dausi. North—Cultivated area of Rampur Machna village. East—Rampur Thekendra village boundary.	119	
Do. ..	Do.	.. Senri Maganiha ..	25	South—Dolona village boundary. West— Ditto. North—Bamhani Forest. East—Cultivated area of Senri Maganiha.	155	
Do. ..	Do.	.. Odhara ..	26	South—Village boundaries of Odhara and Maganiha Kalan and Khurd. West—Dadhiara village boundary. North—Argajapasdiypur village boundary. East—Cultivated area of K[illegible]pura.	248	
Do. ..	Do.	.. Kohi ..	27	South—Kothi village boundary. West—Rajhpur Forest. North—Babahi village boundary. East—Babahi and Kothi villages.	393	
Do. ..	Do.	.. Dausi Dubar Khas ..	28	South—Agricultural fields of Dausi Dubar Khas. West—Purwa and Amjuri village boundary. North—Dausi Uttar Forest. East—Pakhaur Forest.	200	
Do. ..	Do.	.. Barkachha Kalan ..	29	South—Gurbaira village boundary. West—Barkachha Khurd Forest and Babahra Forest. North—Agricultural fields of Barkachha Kalan. East—Gunjari Kohi.	3,005	
Do. ..	Do.	.. Babahi ..	30	South—Common boundaries of Babahi, Kohi and Kothi villages. West—Village boundaries of Kohi and Gangahara village. North—Village boundary of Kalwari Khurd. East—Ghiraug village boundary.	1,372	
					6,1[illegible]0	

By order,

[illegible]AHURUL HASAN, *Secretary.*

द्वारा प्रमाणित सत्यापित

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर - वन प्रभाग मीरजापुर

District	Pargana	Village	Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks	Tahsil	Pargana
1	2	3	5	6	7	8	1	2
					15,771			
Mirzapur	Kantit	Bela	55	*South*—Sirkhi River and Forest. *West*—Common boundary of Katwa and Bela villages. *North*—Dadri Forest. *East*—Dadri and Bauni Forest.	1,183		Mirzapur	Kantit
Do.	Do.	Bauni	56	*South*—Bela and Bauni Forest. *West*—Katwa village boundary and Khajuri River. *North*—Gaura Benia Forest and Jhingwa Barkachha Road. *East*—Ulidand and Dadri Gahala Forest.	733			
Do.	Do.	Dadri Khurd	57	*South*—Dadri Forest. *West*—Agricultural fields of Dadri Khurd and Dadri Gahas. *North*—Sukhaul Forest. *East*—Darhiram Forest.	260			
Do.	Do.	Marihan	58	*South*—Cultivated area of Marihan village and Patera Forest. *West*—Deori Kalan fields. *North*—Darhiram Forest. *East*—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	385			
Do.	Do.	Bakhsha Kalan	59	*South*—Dadri Ram Forest. *West*—Dadri Ram village boundary. *North*—Agricultural fields of Bakhsha Kalan village. *East*—Dadri Ram forest and Pachokhra fields.	220			
Do.	Do.	Sukhaul	60	*South*—Dadri Khurd and Darhiram Forest. *West*—Ulidand Forest. *North*—Agricultural fields of Sukhaul and Umaria villages. *East*—Dadri Ram village boundary.	314			
Do.	Do.	Dadri Ram	61	*South*—Common boundary of Marihan and Darhiram villages and then Dadri Ram and Deori Kalan. *West*—Common boundary of Dadri Khurd and Darhiram villages and then Darhiram and Sukhaul village. *North*—Agricultural fields of Darhiram village, Bakhsha Kalan forest and then Pachokhra fields. *East*—Forest boundary of Umaria Sardar and then Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	5,050			
Do.	Do.	Umaria Sardar	62	*North*—Dadri Ram forest. *West*— Ditto. *South*— Ditto. *East*—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar tahsils.	141			
Do.	Do.	Karaupura	63	*South*—Common boundary of Karaupura and Rajpur villages and then Karaupur Kalwari villages. *West*—Boundary of Band and Magardah forests. *East*—Boundary of Paipar and [illegible] forests. *North*—Agricultural fields of Karaupura and Harai forest.	1,510			
					37,147			

छाया प्रति
सत्यापित
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

सं० २३ (२)३६(ब)/१४-ख--६७--राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को रक्षित वन बनाया जाय;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ए) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके और विज्ञप्ति संख्या ५५६४/१४, दिनांक २७ दिसम्बर, १९५५ का आंशिक परिष्कार करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि को रक्षित वन बनाना निश्चित किया गया है।

२--राज्यपाल, उपर्युक्त ऐक्ट की उक्त धारा की उपधारा (१) के खण्ड (सी) के अधीन श्री उमाशरन मिश्र, डिप्टी कलेक्टर, मिर्जापुर को उक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए वन बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त करते हैं :

अनुसूची

दाढ़ीराम ब्लाक

जिला	तहसील	परगना	तप्पा	ब्लाक के ग्रामों का क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा प्लाट संख्या	क्षेत्रफल
१	२	३	४	५	६	७	८
							बी० बि० बि०
मिर्जापुर	मिर्जापुर	कंतित	८४	१	सुखनई	३७५	७ १९ ०
						३८२	१ ९ ०
						३८३	२ ३ ०
						३८४	३ १८ १
						३८५	३ १४ ०
						३८६	१ १ ०
						३८७	१ ३ ०
						३८८	० ४ ०
						३८९	० ४ ०
						३९०	१ ७ ०
						३९१	० ७ ०
						३९२	० १४ ०
						३९३	० १७ ०
						३९४	१ ११ ०
						३९५	० १३ ०
						३९६	० १६ ०
						३९७	० १३ ०
						३९८	० ४ ०
						३९९	० १० ०
						४००	१ ० ०
						४०१	० १७ ०
						४०२	१ ४ ०
						४०३	० ७ ०
						४०४	१ १० ०
						४०५	० ४ ०
						४०६	१ १ ०
						४०७	० ४ ०
						४०८	० ७ ०
						४०९	० १६ ०
						४१०	१ १६ ०
						४११	० ४ ०
						४१२	१ १० ०
						४१३	० १३ ०
						४१४	० १३ ०
						४१५	० १० ०
						४१६	० ९ ०
						४१७	१ ३ ०
						४१८	० १६ ०
						४१९	० ४ ०
						४२०	० १४ ०

(194)

१	२	३	४	५	६	७	८
							बी० बि० बि०
मिर्जापुर	मिर्जापुर	कंतित	८४	५	उमरियाँसरदार	७५	१० १२ ०
						७६	३ १० ०
						७७	१४ ८ ०
						७८	७८ १२ ०
						७९	७१ ११ ०
						८०	७९ ८ ०
						८१	१ १७ ०
						८२	१५० १० ०
						८३	४४ १ ०
						८४	३६ ७ ०
					६ मझिहान	१	१ १९ ०
						२	० ८ ०
						३	११२ १२ ०
						४	२७ १३ ०
						२०–मि०	३ ० ०
						४४	१४५ १३ ०
						४५	३१ ११ ०
						४६–मि०	१ ० ०
					७ पटेवर	१	१ १८ ०
						२	४० ११ ०
						१७	१ १० ०
						१८	२ १७ ०
						१९	४ १४ ०
						२३	११ १६ ०
						२४	३ ६ ०
						२५	४७ ८ ०
						२६	३७ ४ ०
						२७	० १० ०
						२८/१	४ ११ ०
						२९	४ १३ ०
						३०	३६ १५ ०
						३३	२ ० ०
						३४	१ ० ०
						३५	५ ० ०
						३६	२ ८ ०
						४२	० ३ ०
						४३–मि०	२९ १२ ०
						४५	० २ ०
						४६	० ११ ०
						४७	३० १९ ०
						४८	८ १ ०
						४९–मि०	१७ ० ०
						५०–मि०	५ ० ०
					८ ददरी खुर्द	१	१५१ १ ०
						२४	१३१ १० ०
						६८	३ २ ०
						७३/१	१४ १५ ०
						७४–मि०	४ ० ०
						१८४	१०५ १२ ०
						१८५	१३ १२ ०
						योग ..	१५,०२६ १५ ०
							अथवा
							९,३९१.८ एकड़

20 जुलाई, 1977 ई०

अ०नि०प०--2

अधिसूचना

सं० 4646/14-2--20(41)-77--अधिसूचना संख्या 23(3)-36(ब)--14-ब-67, दिनांक 24 जुलाई, 1967 द्वारा अधोलिखित अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट भूमि को, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अधीन, आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है; और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं, किन्तु अनुसूची 'ख' में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिनांक 30 जनवरी, 1978 से अनुसूची 'क' में उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं :

अनुसूची 'क'

ब्लाक वाड़ी शामे-हिपति और क्षेत्रफल

ग्राम--सुखनई

1	2 (बी०बि०बि०)
875	7 19 0
382 ✓	1 9 0
383	2 3 0
384	3 18 0
385	3 14 0
386	1 1 0
387	1 3 0
388	0 4 0
389	0 4 0
390	1 7 0
391	0 7 0
392	0 14 0
393	0 17 0
394	1 11 0
395	0 13 0
396	0 16 0
397	0 13 0
398	0 4 0
399	0 10 0
400	1 0 0
401	0 17 0
402	1 4 0
403	0 7 0
404	1 10 0
405	0 4 0
406	1 1 0
407	0 4 0
408	0 7 0
409	0 16 0
410	1 16 0
411	0 4 0
412	1 10 0
413	0 12 0
414	0 12 0
415	0 10 0

1	2 (बी०बि०बि०)
416	0 9 [illegible]
417	1 3 0
418	0 16 0
419	0 4 0
420	0 14 0
421	0 14 0
422	0 6 0
423	0 2 0
424	0 8 0
425	0 14 0
426	0 3 0
427	0 11 0
428	0 1 0
429	1 7 0
430	1 4 0
431	1 4 0
432	1 4 0
433	1 8 0
434	1 [illegible] 0
435	0 4 0
436	0 15 0
437	0 11 0
438	1 1 0
439	0 8 0
440	0 11 0
441	0 19 0
442	1 4 0
443	1 7 0
444	1 0 0
445	1 7 0
446	1 0 0
447	1 0 0
448	1 0 0
449	0 8 0
450	0 12 0
451	0 10 0
452	0 10 0
453	0 19 0
454	1 0 0
455	0 13 0
456	2 5 0

1	2 (बी०बि०बि०)
457	0 16 0
458	0 14 0
459	1 0 [illegible]
460	1 14 [illegible]
461	1 8 0
462	1 17 0
463	1 1 0
464	2 3 0
465	1 11 0
466	7 3 0
467	6 9 0
468	4 2 0
469	3 3 0
470	8 10 0
471	3 5 0
472	1 1 0
473	0 8 0
474	0 8 0
475	0 14 0
476	2 4 0
477	0 7 0
478	0 9 0
479	0 10 0
480	1 3 0
481	3 10 0
482	0 9 0
483	10 5 0
484	0 6 0
485	1 7 0
486	0 10 0
487-मि०	250 10 0
488	0 9 0
योग...	394 4 10
2391-मी०	51 0 0
2506-मी०	90 0 0
932	236 16 0
2575-मी०	153 0 0
2507	2 3 0
2508	158 2 0

1	2 (बी०बि०बि०)
2509	1 12 0
2510	892 14 0
2511	72 6 0
2512	1 6 0
2513	20 7 0
2514	1 11 0
2515	4 19 0
2516	3 14 0
2517	23 19 0
2518	0 16 0
2519	6 4 0
2520	4 0 0
2521	340 1 0
2522	176 12 0
2523	0 18 0
2524	39 10 0
2525	3 8 0
2526	43 13 0
2527	0 16 0
2528-मि०	169 4 0
2529	0 14 0
2542	134 16 0
2543	66 8 0
2544	115 19 0
2545	1 8 0
2546	74 4 0
2547	68 14 0
2548	161 0 0
2549	0 8 0
2550	70 17 0
2551	3 11 0
2552	2 2 0
2553	1 11 0
2554	3 6 0
2555	0 6 0
2556	18 4 0
2557	0 4 0
2558	2 11 0
2559	0 4 0
2560	0 12 0

1	2
	बी0 बि0 बि0
82	150 10 0
83	44 1 0
84	36 [illegible] 0
योग ..	1,10[illegible] 11 0
[illegible]—अहिहुल	
	1 19 4
	9 8 0
	112 12 0
4–मी0	27 8 0
20–मी0	3 0 0
44–मी0	145 1 0
45	1 11 0
46–मी0	1 0 0
योग ..	292 19 0

1	2
गांव—पेरेवर	
	बी0 बि0 बि0
1	1 18 0
2–मी0	40 9 0
17–मी0	1 8 0
18–मी0	2 15 0
19–मी0	4 12 0
23–मी0	11 15 0
24	3 6 0
25–मी0	47 7 0
26	37 4 0
27	0 10 0
28/1	4 11 0
29	4 13 0
30	36 15 0

1	2
	बी0 बि0 बि0
33–मी0	1 19 15
34	1 0 0
35–मी0	4 17 0
36	2 8 0
42	0 3 0
43–मी0	29 12 0
46	0 11 0
47–मी0	30 9 0
48	8 1 0
49–मी0	17 0 0
50–मी0	5 0 0
योग ..	298 3 15

1	2
गांव—ददरी खुर्द	
	बी0बि0बि0
1–मी0	150 1 0
24–मी0	131 9 0
73/1	14 15 0
74–मी0	4 0 0
184	105 12 0
185	13 12 0
योग ..	419 9 0
कुल योग..	14895 17 5 या 9309.52 एकड़ या 3767.594 हेक्टेयर

सीमा का वर्णन

मनारा संख्या	मुनारे की स्थिति	अगले मुनारे की लगभग दिशा	लगभग दिग्वलय अग्रिम	लगभग दिग्वलय पार्श्व	अगले मुनारे की लगभग दूरी (जरीबों में)	अगले मुनारे की सीमा का प्रकार	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
			फारेस्ट ब्लाक नं0 1				
1	कृषि क्षेत्र सं0 546–595 एवं 551 के मोड़ पर	—	—	—	14.5[illegible]	टेढ़ी लाइन	ग्राम दादी राम व बहुती के दो–हद्दे से उ0 पू0 कोण 93.00 पं0 उ0 कोण 273.00 दूरी, 17 जरीब 25 कड़ी पर पी0 नं0 1 प्रारम्भ
2	कृषि क्षेत्र सं0 546–मी0 के दक्षिणी मेंड़ पर	उ0प0उ0	319.00	139.30	5.38	सीधी लाइन	
3	कृषि क्षेत्र सं0 546 एवं 545 के उभयनिष्ठ सीमा पर	उ0पू0उ0	12.00	192.00	10.25	"	
4	कृषि क्षेत्र सं0 546–मी0 के पश्चिमी मेंड़ पर	प0उ0प0	313.00	133.00	6.50	"	
5	"	"	283.00	103.00	3.82	"	
6	कृषि क्षेत्र सं0 546 एवं 545 के उभयनिष्ठ सीमा पर	पू0उ0पू0	46.00	226.00	8.60	"	
7	कृषि क्षेत्र सं0 546 में	"	118.00	298.00	7.00	"	
7–क	"	"	118.00	298.00	7.00	"	
8	कृषि क्षेत्र सं0 546 व 532 व 551 के मोड़ पर	पू0उ0पू0	118.00	298.00	8.60	"	
9	कृषि क्षेत्र सं0 532 एवं 551 के सीमा पर	प0उ0प0	18.00	198.00	19.60	"	
9–क	वन क्षेत्र सं0 532 में	उ0पू0उ0	18.00	198.00	3.60	"	
10	कृषि क्षेत्र सं0 510 के दक्षिणी मेंड़ पर	द0प0द0	197.00	17.00	12.00	"	
11	वन क्षेत्र सं0 532–मी0 के पश्चिमी मेंड़ पर	"	198.00	18.00	3.80	"	
12	कृषि क्षेत्र सं0 533 के द0पू0 कोण पर	प0उ0प0	278.30	9.30	3.21	"	
13	वन क्षेत्र सं0 532–मी0 के प0 मेंड़ पर	द0प0द0	204.00	24.00	6.40	"	

120.41

Annexure-14

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लेखनऊ

पत्रांक- 275 /भी.ए./I.A.-लखनऊ: दिनांक:दिसम्बर 20 ,2007
(वन स्वरूप)

सेवा में,

प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय :- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में आई0ए0 संख्या-979 के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में वन स्वरू क्षेत्रों का चिन्हीकरण।

सन्दर्भ :- उ0प्र0 शासन का अर्द्ध शा0 पत्रांक-3697/14-2-2007, दिनांक 19.12.07

महोदय,

उपरोक्त संदेश के अनुपालन में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 19.12.207 को आयोजित किया गया। समिति द्वारा "वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हीकरण" हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारण करने की संस्तुति की गयी है:-

- वृक्षों की प्रति हेक्टर न्यूनतम संख्या निम्नानुसार होगी:–

भौगालिक क्षेत्र	न्यूनतम क्षेत्रफल (हे0)	वृक्षों की न्यूनतम संख्या (प्रति हे0)
विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र	3	100
तराई एवं मैदानी क्षेत्र	2	50

- वृक्षों से तात्पर्य प्राकृतिक रूप से उगे बहुवर्षीय प्रजाति के वृक्षों से है ।
- वृक्षों की संख्या की गणना में झाड़ी एवं रूटस्टाक सम्मिलित नहीं होगा।
- भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल का आधार गाटा संख्या वार होगा। परन्तु निजी भूमि के प्रकरण में जहाँ एक गाटा में कई व्यक्तियों के नाम मिंजूमला के रूप में दर्ज है वहाँ प्रत्येक मिंजूमला प्लाट का क्षेत्रफल के मापदण्ड हेतु आधार माना जायेगा।
- निजी या सार्वजनिक भूमि पर किये गये वृक्षारोपण वन स्वरूप क्षेत्रों हेतु चिन्हित नहीं किये जायेगें।

समिति के संस्तुतियों का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों का अवलोकन कर "वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हीकरण" हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2007 के कम में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(बी0के0 पटनायक)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

संख्या: (1)/14-2-2007-तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख वन-संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5- अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वन संरक्षक, नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

ध्यानाकर्षण श्री प्रवन कुमार (आई0एफ0एस0) सचिन वन

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर
पत्रांक 301 / मीरजापुर/33वन स्वरूप / मीरजापुर दिनांक अगस्त 1, 2008
सेवा मे,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

विषय— माननीय उच्चतम न्यायालय मे दायर रिट पीटिशन संख्या 2002 / 95 टी0एन0 गोडा वर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य के कम मे आई0ए0 संख्या 979 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम मे वन स्वरूप क्षेत्रो का चिन्हाकन किया जाना ।

सन्दर्भ— आपसे एव सचिव वन से हुई दूरभाष पर हुई वार्ता के कम मे ।

महोदय,

उक्त विषयक के कम मे उपरोक्त वाच्छित संशोधित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 4460 / 33/ मीरजापुर दिनांक 24 जून द्वारा पूर्व मे प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी गयी थी । जो कि सम्भवत आपको प्राप्त नही हो सकी थी । उक्त संशोधित रिर्पोट पुन आपको भेजी जा रही है।

सलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय
(ए0के0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुरवन प्रभाग मीरजापुर

संख्या / अ समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1— सचिव वन, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ ।
2— मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।
3— जिलाधिकारी ,मीरजापुर ।
4— प्रभागीय वनाधिकारी, कैमुर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर ।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर

शासनादेश संख्या 120 /14–2–2008/49 (एल) /04 दिनांक 18–1–2008 के अनुपालन में चिन्हित की गयी वन स्वरुप क्षेत्र का विवरण

जनपद–मिर्जापुर

क्र संख्या	जिला का नाम	तहसील /रेंज	गांव का नाम	भू–स्वामी का नाम	गाटा संख्या	भूमि कैटेगरी	क्षेत्रफल	कुल वृक्षों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मिर्जापुर	लालगंज/ हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	42 घ	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	8.8020	1200	–
2.	मिर्जापुर	लालगंज/ हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	54ग	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	6.3240	1887	–
3.	मिर्जापुर	लालगंज/ हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	58ग	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	55.000	7000	–
4.	मिर्जापुर	लालगंज/ हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	59घ	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	7.8260	848	खतौनी में क्षेत्रफल12.6450 अंकित है किन्तु 4.82 हे0 वन विभाग के नाम अंकित हो चुका है। इसलिए कालम संख्या 8 में 7.8260 हे0 दर्शाया गया है तथा इसी क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या कालम संख्या 9 में दर्शाया गया है।

V'ar sarup halla

5.	मिर्जापुर	लालगंज /हलिया	सगरा	1–अजित नरायन वगै0	28/6	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	22.1680	20500	–
				2–अशोक कुमार वगै0	30/1	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	33.4060	4500	–
				3–विरेन्द्र सिंह वगै0	28/5	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	22.1680	20000	–
				4– लक्ष्मी देवी पत्नी मथुरा प्रसाद	33/3	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	6.4120	5000	–
				5– सतीश कुमार वगै0	80/1	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	25.7160	18000	–
				6– बैकुन्ठ नाथ वगै0	40/1	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	25.2930	10887	–

जिलाधिकारी
अध्यक्ष/जिला समिति
मिर्जापुर ।

जिला उद्यान अधिकारी
सदस्य
मिर्जापुर

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग
मिर्जापुर

उप कृषि निदेशक
सदस्य
मिर्जापुर ।

[illegible]

Annexure-15

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक 266 /मीरजापुर/ 23 दिनांक, मीरजापुर जुलाई,16 2018.

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय – SLOTH BEAR CONSERVATION RESERVE IN MARIHAN– SUKRIT- CHUNAR LANDSCAPE OF MIRZAPUR FOREST DIVESION, UTTAR PRADESH.

महोदय,

मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान, सुकृत एवं चुनार रेंज अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण, अध्ययन Vindhyan Ecology and Natural History Foudation, Station Road, Mirzapur के सहयोग से कराया गया, अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को पुस्तक के रूप में संकलित कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय
(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः– 381 /26–11 (वेल्सपन एनर्जी) लखनऊ, दिनांकः अक्टूबर, 15 2014.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,उ0प्र0
मीरजापुर।

विषयः– ग्राम ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद मीर्जापुर में मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि0 द्वारा 2X660 एम0डब्लू0 सुपर किटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan(including wildlife) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1–आपका पत्रांक 1151/मी0 क्षे0/33 दिनांक 18–09–2014।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, मीरर्जापुर वन प्रभाग, मीर्जापुर का पत्रांक 995/33–वेल्सपन दिनांक 09–09–2014।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों से प्रेषित विषयक प्रस्ताव का अवलोकन करें। उल्लेखनीय है कि ग्राम ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद मीर्जापुर में, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी, प्राइवेट लि0 द्वारा 2X660 एम0 डब्लू0 सुपर किटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध इस कार्यालय के पत्रांक 272/26–11(वेल्सपन) दिनांक 24–06–2014 से वांछित आख्या के कम मे प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा पत्रांक 995/33–वेल्सपन दिनांक 09–09–2014 से स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत परियोजना कैमूर वन्य जीव विहार, मिर्जापुर की सीमा से लगभग 25 किमी0 दूर मीरर्जापुर वन प्रभाग क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित है। परियोजना की स्थापना व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा 10 वर्षो हेतु प्रभाग के पादप व जन्तु जगत के संरक्षण उनसे प्रासंगिक विषयों के सन्दर्भ में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में 184.15 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है। उक्त के सम्बन्ध परीक्षण व वांछित आख्या के कम में आपके पत्रांक 1151/मी0 क्षे0/33 दिनांक 18–09–2014 से प्रश्नगत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) से सहमति के साथ प्रतिहस्ताक्षरित कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपके पत्रांक 1151/मी0 क्षे0/33 दिनांक 18–09–2014 द्वारा की गयी संस्तुति के कम में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) निम्न शर्तो के अधीन अनुमोदित कर संलग्न किया जाता है।

1– उक्त Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्यो का कार्यान्वयन सुनिश्चित

करने हेतु उक्त प्रबन्ध योजना में उल्लिखित Monitoring Committee का गठन कर जिसका अनुमोदन मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर से प्राप्त करना होगा।

2– जनपद मिर्जापुर व सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र में व सन्निकट आरक्षित वन क्षेत्रों में विचरण करने वाले काले हिरन (Black Buck) के विस्तृत अध्ययन व संरक्षण हेतु एक कार्ययोजना वन्य जीव संस्थान देहरादून से तैयार करवा कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 को प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय,

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 389 /उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, (मध्य क्षेत्र), भारत सरकार केन्द्रीय भवन पाँचवा तल, सेक्टर एच अलीगंज, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव) पश्चिमी क्षेत्र उ0प्र0, कानपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
5. मुख्य प्रबन्धक, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि0 मिर्जापुर।

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

C:\Documents and Settings\Owner\Desktop\Ramdas-12\Letter.docx

Annexure-17

ह०-5/1

(145)

कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क–सोनभद्र
पत्रांक 221 /10–1, दिनांक, चुर्क, सितम्बर 12 ,2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मिर्जापुर

विषय– मिर्जापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ददरीखुर्द ग्राम में अदानी ग्रुप कम्पनी द्वारा व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्र संख्या–605/10–1, दिनांक, मिर्जापुर, अगस्त 29, 2024।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में गठित समिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
चुर्क–सोनभद्र

"छाया प्रति प्रमाणित"

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

पे० 512

मिर्जापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज अन्तर्गत ददरी खुर्द ग्राम में अडानी ग्रुप कम्पनी द्वारा अवैध रूप से थर्मल पावर की स्थापना हेतु व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पहुंचाने विषय में आख्या देने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के पत्र सं0–696/10–1, दिनाँक, मिर्जापुर, अगस्त 29, 2024 द्वारा गठित समिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट–

समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनाँक–06.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मड़िहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1– प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर के कार्य क्षेत्र के बाहर मिर्जापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज में अवस्थित है।

2– मौके पर मौजूद वन प्रभाग मिर्जापुर के कर्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।

3– प्रश्नगत स्थल पर पत्थरों की घेराबन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेराबन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।

4– निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नहीं मिला।

5– प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने–जाने के लिए एक कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।

6– निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ो की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।

7– प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं वहां पेड़ो का घनत्व काफी कम है।

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

(रामदरश आदिवासी)	(सन्तोष कुमार)	(राम कैलाश आर्य)	(शिवम सिंह)	(सूरज पाण्डेय)
वन रक्षक	वन दरोगा	वन दरोगा	वन दरोगा	वन दरोगा
हलिया रेंज	घोरावल रेंज	गुर्मा रेंज	राबर्ट्सगंज रेंज	का0व0जी0प्र0 चुर्क
/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य

(अवध नारायन मिश्रा)	(सुरजू प्रसाद)	(अरविन्द कुमार) 11/9/2024
क्षेत्रीय वन अधिकारी	क्षेत्रीय वन अधिकारी	वन्य जीव प्रतिपालक
हलिया रेंज	घोरावल रेंज	कैमूर वन्य जीव विहार
/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	पुर्वा–सोनभद्र
		/समिति के अध्यक्ष

"द्वारा प्रति हस्ताक्षित"

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

Scanned with OKEN Scanner

163
8-5/3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या– /33–1 मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर 09, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0–883/2024 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024

सन्दर्भ– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पत्रांक–388/10–1(कोर्ट केस) दिनांक–08.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो आपको सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक–03.07.2024 के संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक "Expert flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" का स्वतः संज्ञान लेते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ0ए0सं0–883/2024 के रूप में संस्थित किया गया है।

प्रश्नगत समाचार उत्तर प्रदेश राज्य के मीरजापुर जनपद के मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ददरीखुर्द ग्राम में सन् 1952 में अधिसूचित कथित वन क्षेत्र में भारी मशीनों का उपयोग कर सड़क निर्माण कर क्षेत्र में वन अधिनियम 1980 या वन (संरक्षण एवं सम्वर्द्धन) अधिनियम 2023 का उल्लघंन कर क्षेत्र में अदानी ग्रुप कम्पनी द्वारा अवैध रूप से थर्मल पावर की स्थापना हेतु व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पहुचाने का उल्लेख है।

उक्त वाद में प्रारम्भिक स्तर पर मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 23.07.2024 को सुनवाई कर आदेश पारित करते हुये मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तर प्रदेश को प्रतिवादी सं0–2 के रूप में Implead कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया है तथा वाद की सुनवाई हेतु 25.10.2024 की तिथि नियत है।

विषयक वाद में नोटिस में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर स्थलीय निरीक्षण कराकर जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त विषयक प्रकरण की जाँच वन्य जीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में सम्पादित की गयी। संयुक्त जाँच आख्या रिपोर्ट संलग्न है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के क्षेत्रान्तर्गत आता है तथा विषयक वाद भी उन्हीं से सम्बन्धित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में आवश्यक दिशा–निर्देश देने एवं अपने स्तर अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–1–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र मयसंलग्नकों सहित।
2–शासन का पत्र सं0–2685(1)/14–4–93 दिनांक–18.10.1993

भवदीय

(तापस मिहिर)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

संख्या– 1134 / 331 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–1–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

रजिस्टर क्रमांक 2358
फाईल
दिनांक 14.10.24
" द्वारा प्राप्त प्रभारी "

(तापस मिहिर)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर

Annexure-18

(182)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0सं0– 883/2024 News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में गठित काम्बिग टीमों की

संयुक्त काम्बिग रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0सं0– 883/2024 News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र महोदय के कार्यालय ओदश दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन इस आशय से किया गया था कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार स्थलीय निरीक्षण एवं गूगल मैप व फोटोग्राफ संलग्न कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जाँच के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक 689/मीरजापुर/एन0जी0टी दिनांक 23 अगस्त, 2024 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारियों/उप क्षेत्रीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कुल 4 काम्बिग टीमों का गठन कर मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में प्रश्नगत स्थल व आस–पास के वन क्षेत्रों में सघन काम्बिग कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार स्थलीय निरीक्षण/जाँच की अपेक्षा की गयी। जाँच के क्रम में समस्त टीमों द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2024 को मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में प्रश्नगत स्थल तथा आस–पास के वन क्षेत्रों में गठित टीमों द्वारा समग्र रूप से सघन काम्बिग की गयी। जिसकी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट बिन्दुवार महोदय के समक्ष प्रस्तुत है।

1. " सघन काम्बिग में प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं पाया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा–ठूठ (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सॉ–डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
2. सघन काम्बिग के दौरान प्रश्नगत स्थल के आस–पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
3. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल जो कि वर्तमान में अडानी पॉवर की सहायक कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 (पूर्व में वेलपन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 के नाम से) के स्वामित्व में है, द्वारा परियोजना भूमि को चारो ओर से घेर–बाड़ करने हेतु प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौके पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।
4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई करते हुए मौके पर ही एकत्रित किया गया है। वन भूमि/वन क्षेत्रों

(18)

से किसी भी प्रकार की लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

5. जाँच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि में एक अस्थाई प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर–रूम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे वेलस्पन एनर्जी द्वारा वर्ष 2011–12 में सुरक्षा कर्मियों के उपयोग हेतु बनाया गया था।
6. प्रश्नगत स्थल पर पहुचने के लिए मीरजापुर–राबर्ट्सगंज (सोनभद्र) मार्ग से 1.7 किमी0 लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसों–कुनवियार वन मार्ग) है। जिसे वन विभाग द्वारा आस–पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलों पर पहुचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई में वर्षाकाल में सुलभ आवा–गमन हेतु मार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डाली गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।

उपरोक्त काम्बिंग ऑपरेशन/स्थलीय निरीक्षण से हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी लेख News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" में व्याख्याकिंत शिकायत प्रथमदृष्टया मनगढ़ंत एवं असत्य प्रतीत होता है। अतः संयुक्त काम्बिंग रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नक :– यथोपरि।</u>

महादेव मौर्य
उप क्षेत्रीय वनाधिकारी
चुनार रेंज

राकेश कुमार सिंह
क्षेत्रीय वनाधिकारी
सुकृत रेंज

राजेन्द्र प्रसाद
क्षेत्रीय वनाधिकारी
विण्ढमफाल रेंज

आनन्द शेखर 10/9/24
क्षेत्रीय वनाधिकारी
चुनार रेंज

संजय गुप्ता
वन रक्षक

सतीश कुमार
वन रक्षक

प्रमोद कुमार
वन दरोगा

विनीत तिवारी
उप क्षेत्रीय वनाधिकारी

आशीष सिंह
वन रक्षक

मनोज कुमार
वन रक्षक

अभिषेक सिंह
वन रक्षक

सीताराम
वन दरोगा

डी.एन. मौर्य
R.O. Madihan

Annexure-19

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए०सं०– 883/2024 News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में गठित जाँच समिति की

जाँच-रिपोर्ट

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए०सं०– 883/2024 News item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र महोदय के कार्यालय आदेश दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन करते हुए मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार स्थलीय निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट [illegible] हेतु निर्देशित किया गया। [illegible] 869/मीरजापुर/[illegible] दिनांक 23 अगस्त 2024 [illegible] टीमों का गठन कर प्रश्नगत स्थल व आस–पास के क्षेत्रों की सघन काम्बिंग करते हुए संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। गठित टीमों द्वारा दिनांक 31.08.2024 को काम्बिंग ऑपरेशन करते हुए दिनांक 10.09.2024 को संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया (संलग्नक–1) जिसका अंश बिन्दु निम्नवत् है–

1. " सघन काम्बिंग में प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं पाया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा–ठूठ (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सॉ–डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
2. सघन काम्बिंग के दौरान प्रश्नगत स्थल के आस–पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
3. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत [illegible] कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा०लि० (पूर्व में [illegible] एनर्जी यूपी प्रा०लि० नाम से) के स्वामित्व में है, द्वारा परियोजना भूमि को चारो ओर से घेर–बाड़ करने हेतु प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौके पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।
4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लैण्टाना/वन तुलसी [illegible] झाड़ियों की सफाई करते हुए मौके पर ही एकत्रित किया गया है। वन भूमि [illegible] से किसी भी प्रकार की लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

5. जाँच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि में एक अस्थाई प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर-रूम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे [illegible] द्वारा वर्ष 2011–12 में सुरक्षा कर्मियों के [illegible] हेतु [illegible]
6. प्रश्नगत स्थल पर पहुँचने के लिए मीरजापुर-राबर्ट्सगंज (सोनभद्र) मार्ग से [illegible] लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसो-कुनथियार वन मार्ग) है। जिसे वन विभाग [illegible] आस-पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलों पर पहुँचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई में वर्षाकाल में सुलभ आवा-गमन हेतु मार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डाली गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।

उपरोक्त काम्बिंग ऑपरेशन/स्थलीय निरीक्षण से हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी लेख New item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" में व्याख्याकित शिकायत प्रथमदृष्टया मनगढ़ंत एवं असत्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत जाँच समिति के सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं प्रकरण के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे लेख का अवलोकन सहित अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये, जिनका बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है–

1. प्रश्नगत स्थल मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में स्थित है, जिसे वेल्सपन एनर्जी यूपी.प्रा०लि० द्वारा वर्ष 2011 से 2013 के मध्य विभिन्न काश्तकारों से क्रय किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 834.68 एकड़ है।
2. अगस्त 2019 में उक्त कम्पनी का विधिवत हस्तानान्तरण करते हुए अडानी [illegible] इण्डिया लिमिटेड द्वारा समग्र रूप से अधिग्रहित कर लिया गया, जो वर्तमान में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा०लि० के नाम पंजीकृत हो गया है।
3. कम्पनी द्वारा क्रय की गयी समस्त भूमि (834.68 एकड़) को नामांतरण के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया। स्पष्ट है कि वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा क्रय की गयी भूमि (परियोजना भूमि) में आरक्षित/संरक्षित/[illegible] वन सम्मिलित नहीं है।
4. काम्बिंग आपरेशन्स में आरक्षित वन क्षेत्र से कहीं भी वृक्षों के कटान की पुष्टि नहीं हुयी है।
5. कम्पनी द्वारा प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब का उपयोग कर मौके पर जो भी [illegible] कार्य कराया गया है वह परियोजना भूमि में स्थित है। आरक्षित/वन भूमि में इस प्रकार का कोई कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

6. कॉरिडोर स्थल पर झाड़ी काटने के दौरान लैन्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों को सफाई कर एकत्रित किया हुआ पाया गया, आरक्षित भूमि से लैन्टाना आदि के कटान की पुष्टि नहीं हुयी।
7. एप्रोच वन मार्ग पर लगभग 250 मीटर लम्बाई में मिट्टी डालने का कार्य किया गया था जो वर्षा के कारण लगभग बह गये हैं।
8. कम्पनी द्वारा परियोजना भूमि में पूर्व में निर्मित एक कमरा सुरक्षा गार्ड तथा वर्तमान में प्रिकास्टेड रिइन्फोर्स्ड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर रूम पाया गया। आरक्षित/वन भूमि में कम्पनी द्वारा कोई अवसंरचनात्मक कार्य किया जाना नहीं पाया गया।

जाँच समिति सदस्यों द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के समस्त पहलुओं से जाँच की गयी, जिसमें आरक्षित/वन भूमि से कटान अथवा अन्य कोई अवसंरचनात्मक कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी। काम्बिंग ऑपरेशन/स्थलीय निरीक्षण से हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी लेख News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" में व्याख्यायित शिकायत प्रथमदृष्टया मनगढ़त एवं असत्य प्रतीत होता है।

रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः— यथोपरि।

(सदस्य)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)
शेख मुअज्जम	कपिल कुमार	अरविन्द राज मिश्रा
उप प्रभागीय वनाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर	चुनार	मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

Annexure-20

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 4419 /मीरजापुर/10रिट , दिनांक मीरजापुर अक्टूबर 21, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024** News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के सम्बन्ध में गठित 3 सदस्यीय जाँच समिति की जाँच रिपोर्ट पर आख्या।

सन्दर्भ–1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय पत्र संख्या–417/पीपीएस/एसीएफ–वन/2024–25, दिनांक 21.10.2024 ।

2– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–को0के0–1346 /6ई–2 (एन0जी0टी0) 21.10.2024 ।

3– आपका पत्रांक–1832/मी0क्षे0/10रिट दिनांक 21.10.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रो के क्रम में अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक 03.07.2024 के संस्करण में प्रकाशित समाचार "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" का स्वतः संज्ञान लेते हुए मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–883/2024 के रूप में संस्थित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024** NEWS ITEM TITLED "EXPERTS FLAG LARGE-SCALE CLEARING OF VEGETATION IN MIRZAPUR FOREST" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 03.07.2024 के आधार पर मा0 न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 23.07.2024 को सुनवाई के क्रम में आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत् है:–

ORDER

1. This Original Application is registered suo-motu on the basis of the news item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in The Hindustan Times dated 03.07.2024.
2. The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh.
3. The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects.

(157)

4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory.
5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP).
6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site. 2
7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980.
8. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.
9. Power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.
10. Hence, we implead following as respondents in this matter:
    (i) Principal Chief Conservator of Forest, Uttar Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow, (Uttar Pradesh) 226001.
    (ii) Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow 226001, Uttar Pradesh.
    (iii) Ministry of Envieonment, Forest and Climate Change, Through its Regional Office, Integrated Regional Office, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020.
    (iv) District Magistrate, Mirzapur, Rambagh Rd, Ramaipatti, Mirzapur, Uttar Pradesh 231001.
11. Issue notice to the above Respondents for filing their response atleast one week before the next date of hearing.
12. List on 25.10.2024.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के कम में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–793/मी0/10रिट, दिनांक 16.08.2024 (संलग्नक–1) से प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग की अध्यक्षता में तीन सदस्यी समिति का गठन किया गया। जिसकी

(132) 135

रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-1107/मी0/एन0जी0टी0, दिनांक 25.09.2024 (संलग्नक-2) उपलब्ध करायी गयी। साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा अपने स्तर से कार्यालय पत्रांक-689/मीरजापुर/एन0जी0टी0, दिनाक 23.08.2024 द्वारा 03 सदस्यी कुल 04 काम्बिंग टीमो का गठन किया गया, जिसके क्रम में रिपोर्ट दिनांक 23.09.2024 को उपलब्ध करायी गयी। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखो एवं गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :-

1- वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2x660) मेगा वाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाईप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 (भूमिगत वाटर पाईप लाइन हेतु 5.8162 है0 एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं विभिन्न प्रजाति के 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/THE/14236/ 2015 द्वारा आनलाइन एवं आफलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे परीक्षणोंपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 2635/मीरजापुर/15 दिनांक 07.03.2016 द्वारा संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है। उपरोक्त के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/ 08/38/2016/एफ0सी0/125 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों में उल्लिखित बायोडायवर्सिटी कन्जवेशन के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि-प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-272/26-11 (वेलेस्पन) दिनांक 24.06.2014 द्वारा वेलेस्पन एनर्जी प्रा0लि0 परियोजना से सम्बन्धित बायोडयवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान में उल्लिखित विन्दुओं पर परीक्षण कर मुख्य वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को प्रतिहस्ताक्षरित आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी। जिसपर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक-703/मी0/33 दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से उपरोक्त के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-995/मी0/33 दिनांक 09.09.2014 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक-1151/मी0/33 दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के बायोडावर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया।

उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-389/26-11 (वेलेस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (Including wildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया।

2- जनपद-मीरजापुर के मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज में ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर में विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के विज्ञप्ति संख्या-23(2)36(ब)/14-ख-67 दिनाक 24.07.1967 264.75 एकड़ वन भूमि मा0 महामहिम

(195)

राज्यपाल महोदय द्वारा वन भूमि घोषित हुयी। वन बन्दोबस्त अधिकारी, मीरजापुर द्वारा समस्त विधिक प्रकिया को पूर्ण करते हुये भा0व0अ0 1927 की धारा–20 का प्रस्ताव बनाकर शासन/उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विज्ञप्ति संख्या–4646/14–2–20 (41)–77 दिनांक 20.07.1967 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्रांक–VIP-23/14–2019–190जी0/2018 दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गयी प्रकिया अनुसार वेलस्पन एनर्जी द्वारा कय की गयी 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नही, के सम्बन्ध में आख्या की अपेक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक–1869/जि0भू0व्य0लि0/गैर वन भूमि–टीम गठन–2024, दिनांक 12.02.2024 द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट/विस्तृत आख्या/टिप्पणी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–1916/जि0भू0व्यय0लि0–2023/थर्मल ए0 यू0पी0 प्रा0लि0, दिनांक 29.02.2024 के साथ संलग्न गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट (संलग्नक–3) के अनुसार "1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग के 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ठ संख्या–1225 के क्रम संख्या–244 व 248 पर रकबा 800 व843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 मे उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नही आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमे वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

3– मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के समादर में, प्रश्नगत प्रकरण के स्थलीय/अभिलेखीय जॉच हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–689/मीरजापुर/एन0जी0टी0, दिनांक 23.08.2024 को 03 सदस्यी कुल 04 टीम का गठन किया गया। गठित समस्त चारो टीमो द्वारा दिनांक 31.08.2024 को मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में प्रश्नगत तथा आस–पास के वन क्षेत्रो में गठित टीमो द्वारा समग्र रूप से काम्बिंग की गयी, जिसकी संयुक्त निरीक्षण/काम्बिंग रिपोर्ट में स्थलीय/अभिलेखीय आधार पर जॉच रिपोर्ट (संलग्नक–4) प्रस्तुत की गयी, जिसका मुख्य अंश निम्न प्रकार है :–

1. "सघन काम्बिग में प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं पाया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा–ठूठ (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सॉ–डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
2. सघन काम्बिग के दौरान प्रश्नगत स्थल के आस–पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
3. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल जो कि वर्तमान में अडानी पॉवर की सहायक कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 (पूर्व में वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 के नाम से) के स्वामित्व मे है, द्वारा परियोजना भूमि को चारो ओर से घेर–बाड़ करने हेतु

(154)

प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौके पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।

4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई करते हुए मौके पर ही एकत्रित किया गया है। वन भूमि/वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।
5. जॉच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि में एक अस्थाई प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर-रूम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे वेलस्पन एनर्जी द्वारा वर्ष 2011-12 में सुरक्षा कर्मियों के उपयोग हेतु बनाया गया था।
6. प्रश्नगत स्थल पर पहुचने के लिए मीरजापुर-रावर्ट्सगंज (सोनभद्र) मार्ग से 1.7 किमी० लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसों-कुनवियार वन मार्ग) है। जिसे वन विभाग द्वारा आस-पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलों पर पहुचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जॉच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई मे वर्षाकाल में सुलभ आवा-गमन हेतु मार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डाली गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।"

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर की अध्यक्षता में गठित 03 सदस्यी समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण /अभिलेखीय परीक्षण किया गया, जिसके कम में तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनाक 23.09.2024 को प्रेषित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत स्थल मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में स्थित है, जिसे वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा वर्ष 2011 से 2013 के मध्य विभिन्न कास्तकारो से क्रय किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 834.68 एकड़ है।
2. अगस्त 2019 में उक्त कम्पनी का विधिवत हस्तानान्तरण करते हुए अडानी इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड द्वारा समग्र रूप से अधिग्रहित कर लिया गया, जो वर्तमान में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा०लि० के नाम पंजीकृत हो गया है।
3. कम्पनी द्वारा क्रय की गयी समस्त भूमि (834.68 एकड़) को नामांतरण के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया। स्पष्ट है कि वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा क्रय की गयी भूमि (परियोजना भूमि) में आरक्षित/संरक्षित/निहित वन सम्मिलित नहीं है।
4. काम्बिग आपरेशन्स में आरक्षित वन क्षेत्र से कही भी वृक्षों के कटान की पुष्टि नहीं हुयी है।
5. कम्पनी द्वारा प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब का उपयोग कर मौके पर जो भी बाउण्ड्री कार्य कराया गया है वह परियोजना भूमि में स्थित है। आरक्षित/वन भूमि में इस प्रकार का कोई कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।
6. कतिपय स्थलों पर बाउण्ड्री कार्य के दौरान लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई कर एकत्रित किया हुआ पाया गया, आरक्षित भूमि से लैण्टाना आदि के कटान की पुष्टि नहीं हुयी।
7. एप्रोच वन मार्ग पर लगभग 250 मीटर लम्बाई में मिट्टी डालने का कार्य किया गया था जो वर्षा के कारण लगभग बह गये है।
8. कम्पनी द्वारा परियोजना भूमि में पूर्व में निर्मित एक कमरा सुरक्षा गार्ड तथा वर्तमान में प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर रूम पाया गया। आरक्षित/वन भूमि में कम्पनी द्वारा कोई अवसंरचनात्मक कार्य किया जाना नहीं पाया गया।

(183)

उपरोक्तानुसार गठित काम्बिंग टीम द्वारा प्रेषित संयुक्त रिपोर्ट में मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में प्रश्नगत स्थल के आस–पास आरक्षित वन भूमि/वन भूमि से वृक्षों का कटान अथवा बड़े पैमाने पर वनस्पतियों की सफाई नहीं हुई है और न ही वन क्षेत्र में कोई नया सड़क/मार्ग निर्माण कार्य अथवा अवसंरचनात्मक कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुई है, अपितु जो भी कार्य किये गये वह कम्पनी द्वारा क्रय की गयी परियोजना भूमि मे किया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

Annexure-B

महत्वपूर्ण/ई-मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 2054 / 10–1 (कोर्ट केस) लखनऊ, दिनांक 03 / फ़रवरी, 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कोर्ट केस,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय:– मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024** के कम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक **23.07.2024** के अनुपालन में।

संदर्भ:– 1.कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक–2191/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 15.01.2025

2.मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर के पत्रांक–1360/10–1 (कोर्ट केस) दिनांक 28.01.2025

3.मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–3184/मीरजापुर/10रिट/दिनांक 31.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक 28.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में मुख्यालय स्तर पर गठित जांच समिति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक–187/एन0जी0टी0 दिनांक 09.01.2025 की आख्या संलग्न कर प्रेषित करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–883/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा 4,5,6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त के कम में इस कार्यालय स्तर से की गयी पृच्छा के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा पत्रांक–2473/10–1 दिनांक 28.01.2025 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या के संदर्भगत मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर संदर्भित पत्र दिनांक 28.01.2025 द्वारा प्रेषित आख्या तथा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–2520/(एन0जी0टी0)/मीरजापुर दिनांक 31.01.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या को मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने संदर्भित पत्र दिनांक 31.01.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या को संस्तुति सहित संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अनुराधा वेमूरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांकः–3184 मीरजापुर / 10रिट / दिनांक,मीरजापुर,जनवरी 31 ,2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in the Hindustan Times Dated 03.07.2024 के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में।

सन्दर्भः– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–2009 / 10–1 (को0के0) लखनऊ दिनांक 29.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–883 / 224 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा–4, 5, 6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक–2520 / एन0जी0टी0 / मीरजापुर / दिनांक 31.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पैरा–4, 5, 6 व 7 के सापेक्ष आख्या उपलब्ध करायी आख्या संस्तुति सहित आपके अवलोकनार्थ अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

Dy. Cwlw / श्री ... 31/1/25

Peef (wl) 31/1/2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक 2520/(एन0जी0टी0)/मीरजापुर दिनांक 31– जनवरी, 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in the Hindustan Times Dated 03.07.2024** के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में।

सन्दर्भः– कार्यालय प्रधान मुख्य संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2191/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 15.01.2025 तथा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–2009/10–1 (को0के0) लखनऊ दिनांक 29.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम मे विषयक प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–883/224 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा–4, 5, 6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम मे अपेक्षित प्रस्तरवार आख्या निम्नवत् है–

पैरा–4 The article highlights .... endemic, threatened, and migratory. के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या–

1. मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के बिन्दु–4 मे उल्लिखित बिन्दु का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि पर्यावरणविद् श्री देबादित्यों सिन्हा, मैनेजिंग ट्रस्टी, विन्ध्यन इकोलॉजी एण्ड नैचुरल हिस्ट्री फाउण्डेशन को मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मड़िहान रेंजो के कतिपय क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप व अन्य सर्वेक्षण हेतु प्राप्त अनुमति के क्रम में द्वारा जुलाई 2018 में मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मड़िहान रेंज के कतिपय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर Sloth Bear Conservation Reserve का प्रस्ताव बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को उपलब्ध कराया गया था, तत्पश्चात कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक–266/मीरजापुर/ 23 दिनांक 16.07.2018 (संलग्नक–1) द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान, सुकृत एवं चुनार रेंजो के अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र को प्रेषित किया गया। परन्तु वर्तमान मे प्रस्नगत ग्राम ददरी खुर्द व आस–पास के वन क्षेत्रों को Sloth Bear Conservation Reserve घोषित करने विषयक प्रस्ताव वन एवं वन्य जीव विभाग में विचाराधीन नहीं है।
2. वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2X660) मेगा वाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाईप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581हे0 (भूमिगत वाटर पाईप लाइन हेतु 5.8162 हे0 एव सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 हे0) आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग

( ) विभिन्न प्रजाति के 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/THE/14236/ 2015 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे परीक्षणोपरान्त कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 2635/मीरजापुर /15 दिनांक 07.03.2016 द्वारा संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है। उपरोक्त के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/08/38/2016/एफ0सी0/125 दिनांक 17.09.2014 द्वारा अपर मुख्य सचिव,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों में उल्लिखित बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि–प्रमुख वन संरक्षक,वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–272/26–11 (वेलेस्पन) दिनाक 24.06.2014 द्वारा वेलेस्पन एनर्जी प्रा0लि0 परियोजना से सम्बन्धित बायोडयवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं पर परीक्षण कर मुख्य वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को प्रतिहस्ताक्षरित आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी। जिसपर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–703/मी0/33 दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से उपरोक्त के सम्बन्ध मे आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–995/मी0/33 दिनांक 09.09.2014 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–1151/मी0/33 दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के बायोडावर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–389/26–11 (वेलस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा BiodiversityAssessment and Preparation of Conservation Management Plan (Includingwildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया। (संलग्नक–2)

3. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पत्रांक 885/एन–1 दिनांक 29 अगस्त 2024 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जॉच हेतु वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार चुर्क–सोनभद्र की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी। उपरोक्त के क्रम में कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र के कार्यालय पत्रांक 221/10–1 दिनांक 12 सितम्बर 2024 (संलग्नक–3) के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है–

"समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनांक 06.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मड़िहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के कार्य क्षेत्र के बाहर मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज में अवस्थित है।
2. मौके पर मौजूद वन प्रभाग मीरजापुर के कर्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।
3. प्रश्नगत स्थल पर पत्थरों की घेराबन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेराबन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।
4. निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नहीं मिला।

5. प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने–जाने के लिए कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।
6. निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ों की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।
7. प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं वहां पेड़ों का घनत्व काफी कम है।"

पैरा–5 The article also brings………………Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP). के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या–

1. मा० न्यायाधिकरण द्वारा पैरा–5 में उल्लेख करते हुए कहा है कि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1320 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित किया गया था, जिसे बाद में मिर्जापुर एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था। जब परियोजना अभी भी वेलस्पन एनर्जी के पास थी, तब 21 दिसंबर 2016 को देबादित्यो सिन्हा बनाम भारत संघ में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ ने इसकी पर्यावरणीय मंजूरी को खारिज कर दिया था, साथ ही इस स्थल को मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया था। अडानी पावर लिमिटेड की एक सहायक कंपनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड (एमटीईयूपीपीएल) ने अब नए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह 2X800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (टीपीपी) के लिए है। पर्यावरणीय अनुमति सम्बन्धित कार्यवाही वन विभाग के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नहीं आता है अतः सम्बन्धित विभाग से ही इस पर प्रतिक्रिया लेना उचित होगा।

पैरा–6 It is further stated………………right inside the project site. के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या–

1. शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक–1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया। सम्यक जॉचोपरान्त विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी मीरजापुर ने अपने पत्र दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक–4) द्वारा उपलब्ध करायी, जिसमें कम्पनी द्वारा क्रय की गयी निजी भूमि मे वन भूमि है अथवा नही के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है, जिसका उद्धृत अंश–

   "………1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग के 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या–1225 के क्रम संख्या–244 व 248 पर रकबा 800 व843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि मे नहीं आती है।

   अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नही है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नही है, एवं वन से आच्छादित नही है।"

2. कथित क्रय की गयी परियोजना भूमि ग्राम ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जिला मीरजापुर की सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन, उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में

ढीरान आरक्षित वन स्थित है। जिसमें वन्यजीवों का वास होना स्वाभाविक है। परन्तु वन्यजवों के स्थल विशेष सम्बन्धित कोई भी आकडे संधारित नही है।

पैरा–7 The above news item indicates................Forest (Conservation) Act, 1980. के सम्बन्ध मे बिन्दुवार आख्या–

1. मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 में उल्लिखित तथ्यों की जाँच हेतु मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक 793/मी0/10–रिट दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तत्क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के कार्यालय आदेश दिनांक 23.08.2024 के क्रम में कुल चार कॉम्बिंग टीम का गठन करते हुए विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित स्थल व आस–पास के वन क्षेत्रों का गहन स्थलीय जाँच कराया गया। गठित टीमों द्वारा दिनांक 31.08.2024 को काम्बिंग ऑपरेशन करते हुए दिनांक 10.09.2024 को संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में आरक्षित वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की कटान व गैर वानिकी कार्यो की पुष्टि नहीं हुई है।

अतः मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024**News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 मे पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के समादर मे उपरोक्तानुसार अपेक्षित आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक अ/समदिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ।

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक 266 /मीरजापुर/ 23 दिनांक, मीरजापुर जुलाई, 10 2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय – SLOTH BEAR CONSERVATION RESERVE IN MARIHAN– SUKRIT- CHUNAR LANDSCAPE OF MIRZAPUR FOREST DIVESION, UTTAR PRADESH.

महोदय,

मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान, सुकृत एवं चुनार रेंज अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण, अध्ययन Vindhyan Ecology and Natural History Foudation, Station Road, Mirzapur के सहयोग से कराया गया, अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को पुस्तक के रूप में संकलित कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 3219 /26-11 (वेलस्पन एनर्जी) लखनऊ, दिनांक अक्टूबर, 15 2014.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर मण्डल,
मीरजापुर।

विषय: ग्राम ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जनपद मीरजापुर में मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि0 द्वारा 2X660 एम0डब्लू0 सुपर क्रिटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan including wildlife) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- 1-आपका पत्रांक 1151/मी0 सी0/33 दिनांक 18-09-2014।
2-प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीर्जापुर का पत्रांक 995/33-वेल्सपन दिनांक 09-09-2014।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों से प्रेषित विषयक प्रस्ताव का अवलोकन करें। उल्लेखनीय है कि ग्राम ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जनपद मीरजापुर में, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी. प्राइवेट लि0 द्वारा 2X660 एम0 डब्लू0 सुपर क्रिटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध इस कार्यालय के पत्रांक 272/26-11(वेल्सपन) दिनांक 24-06-2014 से वांछित आख्या के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा पत्रांक 995/33-वेल्सपन दिनांक 09-09-2014 से स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत परियोजना कैमूर वन्य जीव विहार, मिर्जापुर की सीमा से लगभग 25 कि0मी0 दूर मीरजापुर वन प्रभाग क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित है। परियोजना की स्थापना व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा 10 वर्षों हेतु प्रभाग के पादप व जन्तु जगत के संरक्षण उनसे प्रासंगिक विषयों के सन्दर्भ में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में 184.15 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। उक्त के सम्बन्ध परीक्षण व वांछित आख्या के क्रम में आपके पत्रांक 1151/मी0 सी0/33 दिनांक 18-09-2014 से प्रश्नगत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) को सहमति के साथ प्रतिहस्ताक्षरित कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपके पत्रांक 1151/मी0 सी0/33 दिनांक 18-09-2014 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) निम्न शर्तों के अधीन अनुमोदित कर संलग्न किया जाता है।

1- उक्त Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित

करने हेतु उक्त प्रबन्ध योजना में सन्निहित Monitoring Committee का गठन कर जिसका अनुमोदन मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर से प्राप्त करना होगा।

2- जनपद मिर्जापुर व सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र में व सन्निकट आरक्षित वन क्षेत्रों में विचरण करने वाले काले हिरन (Black Buck) के विस्तृत अध्ययन व संरक्षण हेतु एक कार्ययोजना वन्य जीव संस्थान देहरादून से तैयार करवा कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ०प्र० को प्रस्तुत करना होगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डा० रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक /तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, (मध्य क्षेत्र), भारत सरकार केन्द्रीय भवन पाँचवा तल, सेक्टर एच अलीगंज, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव) पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र०, कानपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
5. मुख्य प्रबन्धक, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि० मिर्जापुर।

(डा० रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(173)

कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क–सोनभद्र

पत्रांक 221 /10–1, दिनांक, चुर्क, सितम्बर 12 ,2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मिर्जापुर

विषय– मिर्जापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ददरीखुर्द ग्राम में अदानी ग्रुप कम्पनी द्वारा व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पुहंचाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्र संख्या–605/10–1, दिनाँक, मिर्जापुर, अगस्त 29, 2024।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में गठित समिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार,
चुर्क–सोनभद्र

"छाया प्रति प्रमाणित"

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

Scanned with OKEN Scanner

मिर्जापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज अन्तर्गत ददरी खुर्द ग्राम में अदानी ग्रुप कम्पनी द्वारा अवैध रूप से थर्मल पावर की स्थापना हेतु व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों को क्षति पहुंचाने विषय में आख्या देने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के पत्र सं0-695/10-1, दिनांक, मिर्जापुर, अगस्त 20, 2024 द्वारा गठित समिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट-

समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनांक-08.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मड़िहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है-

1- प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर के कार्य क्षेत्र से बाहर मिर्जापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज में अवस्थित है।

2- मौके पर मौजूद वन प्रभाग मिर्जापुर के कर्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।

3- प्रश्नगत स्थल पर पत्थरों की घेराबन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेराबन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।

4- निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नहीं मिला।

5- प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने-जाने के लिए एक कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।

6- निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ो की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।

7- प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं यहां पेड़ों का घनत्व काफी कम है।

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

(रामदरश आदिवासी)	(सन्तोष कुमार)	(राम कैलाश आर्य)	(शिवम सिंह)	(सूरज पाण्डेय)
वन रक्षक	वन दरोगा	वन दरोगा	वन दरोगा	वन दरोगा
हलिया रेंज	घोरावल रेंज	गुर्मा रेंज	राबर्ट्सगंज रेंज	का0व0जी0प्र0 चुर्क
/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य

11/9/2024

(अजय नारायण मिश्रा)	(सुरजू प्रसाद)	(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी	क्षेत्रीय वन अधिकारी	वन्य जीव प्रतिपालक
हलिया रेंज	घोरावल रेंज	कैमूर वन्य जीव विहार
/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	चुर्क-सोनभद्र
		/समिति के अध्यक्ष

"छाया प्रति सत्यापित"

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

Scanned with CamScanner

शीर्ष प्राथमिकता/आवश्यक/तत्काल

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर ।

पत्रांक:- 1516 /जि0भू0व्य0लि0-2023/वर्मलए0यू0पी0प्रा0लि0 दिनांक: 29 .02.2024

विषय:- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइपलाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में ।

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर
वन प्रभाग, मीरजापुर ।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के संबंध में विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा-20 के अंतर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई । अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के संबंध में शासन के पत्रांक-VIP-23/14—2019-190जी/2018 दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया अनुसार वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में आख्या की अपेक्षा की गई है ।

विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के पत्र संख्या-3123/मीरजापुर/5 दिनांक 10 फरवरी 2020 व अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता, मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 242/1 प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, ब्रहमपुरी कालोनी मीरजापुर के पत्र दिनांक 08.02.2024 के क्रम में वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू0राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में शामिल कर जांचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा किया गया ।

उपरोक्त के क्रम में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 प्राप्त की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अंतर्गत ग्राम ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.86) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना संभव नही था एवं वर्तमान में भी संभव नही है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलस्पन के द्वारा क्रय की गई भूमि सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नही है एवं वन से आच्छादित नही है ।

अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य मे अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 के क्रम में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने कष्ट करें ।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार ।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

रजिस्टर क्रमांक 5246
फाईल सं0 ....
दिनांक 01-03-2024

जिलाधिकारी महोदय,

शासन के पत्र संख्या–1705/81–2–2019–800(64)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 दिनांक 26 अगस्त, 2019 में की गयी प्रेच्छा–प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर एवं जिलाधिकारी मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रकियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलस्पन द्वारा कय की गयी भूमि 834.68 एकड मे वन भूमि निहित तो नही है के कम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के पत्र संख्या 2585/मीरजापुर/15 दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके कम मे कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 1869/जि0भू0व्या0 लि0/गैर वन भूमि–टीम गठन/2024 दिनांक 12 फरवरी, 2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0) मीरजापुर, उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर, उपप्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर, मीरजापुर की संयुक्त टीम गठित की गयी। समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में राजस्व व वन विभाग के विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण की प्रकिया के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये –

1. दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द ग्राम मे तथाकथित वन भूमि का उल्लेख मिलता है। वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.10.1952 का प्रारम्भ इस प्रकार है–"In exercise of the power conferred by section 117 of the U.P. Zamindari Abolition and Land 1950 (U.P. Act I of 1951), the Governess is pleased to declare that as from the first day of November 1952, all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprising in any holding ....and all forest within the village boundries, site in a circles, which have vested in state under the said Act, shall subject to the exceptions shown in schedule and hereto. vest in Gaon Samaj established for the circle.

उपर्युक्त नोटिफिकेशन दो भागों में विभाजित है–

Sehedule-1 :- Particulars of uncultivated Land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs – परन्तु इस सूची में ददरी खुर्द का नाम नही है।

Sehedule-2 :- Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs.

इस सूची के पृष्ठ संख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के संदर्भ में कमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। दिनांक 18.10.1952 का वन विभाग का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक–1 है।

2. तत्पश्चात् वन विभाग की धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनाक 26 नवम्बर, 1955 में जारी हुआ, जिसमें ग्राम ददरी खुर्द का उल्लेख नही है। दिनांक 26 नवम्बर 1955 का नोटिफिकेशन संलग्नक–2 है।

3. वन विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनाक 26 नवम्बर 1955 के धारा 4 के संबंध में जारी नोटिफिकेशन के कम में विज्ञप्ति 5564/XIV

दिनांक 27 दिसम्बर 1955 में पुनः धारा 4 का अग्रिम नोटिफिकेशन जारी हुआ। जिसके कम संख्या 57 पर ग्राम ददरी खुर्द के संबंध में मात्र 800 एकड़ भूमि का नोटिफिकेशन है, जिसकी सीमा दक्षिण दांती वन पश्चिम ददरी खुर्द व ददरी गहिरा की कृषिक भूमि व उत्तर सुखनई वन व पूरब दाढीराम वन है। दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का धारा–4 का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक–3 है।

4. पुनः वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14–ख–67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमे दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। दिनांक 24 जुलाई 1967 के जारी नोटिफिकेशन में ग्राम ददरी खुर्द के गाटो का विवरण दिया गया जो निम्नवत् है:–

सेड्यूल–2 की परिभाषा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	1359फ0 खसरा के अनुसार नवैयत
Particulars of forests and the extant to which they shall not vest in Gaon Samajs	01	151 बीघा 01 बिस्वा	पथरैल
	24	131 बीघा 10 बिस्वा	पथरैल
	68	03 बीघा 02 बिस्वा	नाला
	73/1	14 बीघा 15 बिस्वा	पथरैल
	74मि0	04 बीघा 00 बिस्वा	नदी
	184	105 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	185	13 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	योग	423 बीघा 12 बिस्वा या	264.88 एकड़

इस प्रकार वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के शेड्यूल–2 की परिभाषा एवं 1967 मे धारा–4 मे प्रकाशित ददरी खुर्द के वन भूमि का विवरण एवं 1359फसली खसरा (वर्ष 1952) मे भूमि की प्रकृति से स्पष्ट है कि 1359 फसली खसरे मे पथरैल, नदी, पहाड व नाला की भूमि ही वन भूमि के रूप मे प्रकाशित की गयी थी। जो तत्समय मे वन भूमि के रूप मे थी। दिनांक 24 जुलाई 1967 का नोटिफिकेशन संलग्नक–4 है।

5. दिनांक 24 जुलाई 1967 का जारी विज्ञप्ति धारा–4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुरूप ही विज्ञप्ति संख्या 4646/14–2–20(41)–77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटों–01मि0, 24मि0 ,73/1, 74मि, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा अर्थात 262.29 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशन हुआ। विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 संलग्नक–5 है। इसी धारा 20 के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी में 264.23 एकड़ अर्थात 107.030 हे0 रकबा वन विभाग के नाम दर्ज है। वर्तमान खतौनी संलग्नक–6 है।

जहॉ तक वन विभाग द्वारा जारी 1952 की विज्ञप्ति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में वन विभाग व राजस्व विभाग मे उपलब्ध अभिलेखो का परीक्षण किया गया, जिसमे निम्नलिखित तथ्य प्रकटित हुए :–

(क) वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के पृष्ट संख्या 1225 के क्रमांक 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे क्रमशः 800 एकड़ व 843 एकड़ क्षेत्रफल का उल्लेख है। जो कि कुल मिलाकर 1643एकड़ हो जाता है।

राजस्व विभाग के उपलब्ध अभिलेख 1306फ0 के खेवट मे भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

भूमि का प्रकार	कुल रकबा
परती जजीद व परती कदीम	432.84 एकड़
तालाब	1.18 एकड़
नदी नाला	16.93 एकड़
पथरैल	196 एकड़
जंगल	107.40 एकड़
पहाड़	77.15 एकड़
काश्तकारी भूमि	347.38 एकड़

इस प्रकार 1306फसली खेवट मे तालाब, नदी, नाला, पथरैल व पहाड की भूमि का कुल 291.26 एकड़ है। इसी प्रकार 1334फ0 के खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकवा 1202.5 एकड़ है, जिसमे 229.375 एकड़ भूमिधरो के नाम तथा 179.375 एकड सीरदारो के नाम भूमि है। तहसील अभिलेखागार में 1359 फसली की खतौनी नहीं मिली परन्तु अभिलेखागार मे उपलब्ध 1359फ0 के खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकवा 1209.562 एकड है। जिसमे सीर काश्तकार 116.025 एकड, बंजर 803.718 एकड, पथरैल 193.062 एकड, बाग 1.5 एकड व रास्ता 0.25 एकड़ व तालाब 1.187 एकड़ व नदी 10.562 एकड व पहाड़ 74.5 एकड भूमि है। 1359फ0 खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1209.562 एकड है। अतः राजस्व अभिलेख 1306फसली खेवट, 1334फसली खसरा व 1359फसली खसरा से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन मे उल्लिखित वन भूमि का कुल रकवा 1643 एकड़ त्रुटिपूर्ण है। यह किसी भी स्थिति मे राजस्व ग्राम के कुल रकबा 1209.562 एकड़ से अधिक नही हो सकता।

ख. जिला अभिलेखागार मै उपलब्ध अभिलेख 1362फ0 की खतौनी का परीक्षण किया गया जो जीर्ण–शीर्ण है। जिसमे कुछ खातो का विवरण उपलब्ध है। इस खतौनी मे श्रेणी–02 – जो सीरदारो के अधिकार मे है, कुल 168गाटा कुल रकबा 901.875 एकड़ पर सीरदारो का नाम अंकित है। जिसपर भौमिक वर्ष 01वर्ष लिखा गया है। जिसका अर्थ यह है कि 1362फ0 खतौनी के निर्माण वर्ष 1955 से 01वर्ष पूर्व 1954 से ही उक्त भूमि 901.875 एकड़ सीरदारो के अधिकार मे थी। अतः स्पष्ट है कि तत्समय नदी, नाला, पहाड व पथरैल क़ी भूमि जो 1952 नोटिफिकेशन के सेड्यूल–2 Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. के रूप मे परिभाषित है जिसका रकबा मात्र 264 एकड़ ही है।

ग. वन विभाग के दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 मे जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ट संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकबा क्रमशः 800 व 843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ को सेड्यूल 02 मे रखा गया है तथा सेड्यूल 02 को परिभाषित

करते हुए कहा गया है कि – Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. अर्थात उस भूमि का विवरण जो ग्राम सभा मे नही है तथा तत्समय वन के रूप मे है। राजस्व विभाग का 1359फ0 खसरा जमींदारी विनाश अधिनियम के समय तैयार किया गया आधार वर्ष खसरा है खसरा वह राजस्व दस्तावेज है जो प्रति कृषि वर्ष भूमि की प्रकृति, उसपर लगी फसल, भूमि का स्वामित्व आदि प्रदर्शित करता है। 1359फ0 के खसरा मे 803.718एकड़ बंजर भूमि दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त बंजर भूमि रकवा 803.718एकड़ वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के सेड्यूल–2 के अन्तर्गत नही है। 1359फ0 खसरा मे 803.718 एकड़ रकवा बंजर भूमि होना यह प्रदर्शित करता है कि तत्समय उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया था। किन्तु इस का अर्थ यह नही है कि उक्त भूमि तत्समय किसी स्वामित्व के अन्तर्गत नही थी। 1359फ0 खसरा मे पथरैल भूमि का रकवा 193.162 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व नाला 6.375 एकड़ व पहाड 74.5 एकड़ कुल रकवा 284.599 एकड़ था।

घ. वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14–ख–67 का धारा 4 के संबध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये गाटा संख्या 1, 24, 68, 73/1, 74.मि, 184, 185 कुल रकवा मात्र 264 88 एकड(423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1366 से 1368फसली खतौनी मे उक्त गाटो का विवरण व नवैयत निम्नवत् है–

गाटा संख्या	क्षेत्रफल	नवैयत
1	151बीघा 1बिस्वा	पथरैल
24	131बीघा 10बिस्वा	पथरैल
68	3बीघा 2बिस्वा	नाला
73/1	14बीघा 15बिस्वा	पथरैल
74मि0	9बीघा 14बिस्वा	नदी
184	105बीघा 12बिस्वा	पहाड
185	13बीघा 12बिस्वा	पहाड
योग–	429 बीघा 6बिस्वा या 268.31 एकड़	

उपरोक्त गाटो मे से गाटा संख्या 1,24,73/1, 74,184 व 185 कुल रकवा 423बीघा 12बिस्वा अर्थात 264.88 एकड की विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 विज्ञप्ति संख्या 4646/14–02–20 (41)–77 भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ। जिससे स्पष्ट है कि वन विभाग के 1977 के धारा–20 के प्रकाशन मे केवल पथरैल व नदी व पहाड़ की ही भूमि का प्रकाशन किया गया था। जिसमे पूर्व की किसी भी बंजर भूमि या सीरदारो की भूमि का प्रकाशन नही था। वन विभाग की धारा–20 की विज्ञप्ति के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी मे भी भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

वर्तमान गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर मे	पुराना नम्बर
1	13.800हे0	1मि
2	13.360हे0	1मि
3	4.750हे0	1मि
4क	6.000हे0	1मि
4ख	0.250हे0	1मि
5	16.700हे0	24मि
6	10.400हे0	25मि
23छ	2.010हे0	73मि
30	1.750हे0	73मि
31ख	1.010हे0	74मि
32	0.170हे0	68मि
53	6.150हे0	24मि
74	0.450हे0	68मि
198छ	1.310हे0	131मि
219	9.050हे0	184मि
232	9.000हे0	184मि
233	8.000हे0	184मि
234	2.850हे0	185
योग	107.030हे0 अर्थात 423 बीघा 3बिस्वा 3धुर अर्थात 264.23 एकड	

उक्त से स्पष्ट है कि धारा–20 के प्रकाशन के समय मात्र 264.98 एकड़ भूमि ही वन भूमि थी। जो 1952 के नोटिफिकेशन मे प्रकाशित कुल रकवा 1643एकड की सत्यता को संदिग्ध करता है।

च. जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा–117– कुछ भूमि आदि का ग्रामसभाओ तथा अन्य स्थानिक अधिकारियो मे निहित होना–धारा–01, धारा–04 मे उल्लेखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी समय, राजस्य सकार, (सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा) यह प्रख्यापित कर सकती है कि तदर्थ विनिर्दिष्ट किये जाने के दिनांक से निम्न लिखित सभी या कोई वस्तु अर्थात–

(1) तत्समय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोडकर सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नही,
(2) जंगल,
(3) स्रोत से अथवा जोत की मेड पर या बाग अथवा आबादी मे स्थित पेडो को छोडकर सभी पेड,
(4) मीनाशय
(5) ऐसी भूमि जिनपर धारा–18 की उपधारा 1 के खण्ड क से ग के उपबन्ध लागू होते हो अथवा धारा–9 मे उल्लेखित स्थलो तथा क्षेत्रो पर लगने वाले हाटो, बाजारो और मेलो से भिन्न हाट, बाजार और मेले,
(6) तालाब, पोखर, निजी नाव घाट, जल प्रणालिया, रास्ते व आबादी के स्थल

जो इस अधिनियम मे अधीन राज्य मे निहित हो गये हो, उस सम्पूर्ण गाव या उसके भाग के लिए जिसमे उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित ग्राम सभा या किसी अन्य अधिकारिकी मे अथवा एक ऐसे स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत ग्राम सभा भी है), और अंशतः दूसरे मे निहित हो जायेगे।

उक्त से स्पष्ट है कि धारा–117 की उपधारा–2 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियो पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके क्रम मे वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा–20 के अन्तर्गत श्रेणी–6 की भूमि नदी, पथरेल व पहाड की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359फसली खसरा मे बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718एकड है, उक्त भूमि 1362फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख मे वर्ष 1954 से ही सीरदारो के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नही है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति मे ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ट संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकबा 800 व 843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 मे निहित/प्रदत्त शक्तियो से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 मे उपरिलिखित 6 श्रेणियो की भूमि मे नही आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द मे वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नही था एवं वर्तमान में भी सम्भव नही है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नही है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।

तहसीलदार सदर,
मीरजापुर

उप जिलाधिकारी सदर,
मीरजापुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुनार, मीरजापुर

अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0)
मीरजापुर
28/02/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर।
पत्र संख्या– 1360 /10–1 (कोर्ट केस) दिनांक, कानपुर, जनवरी 28 ,2025

सेवा में,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय:– मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित, अधिकरण नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Items Titled "Expert flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03-07-2024 के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–23.07.2024 के अनुपालन में ।

संदर्भ:– आपका पत्रांक–1917/10–1(कोर्ट केस) दि0–17.01.2025

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0नं0–883/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा 4, 5, 6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार चुर्क–सोनभद्र से आख्या प्राप्त कर अपने पत्रांक–2473/10–1 दिनांक–28.01.2025 इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त के आधार पर मा0 एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0–883/2024 के पैरा 4,5,6 व 7 के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है–

"4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kalmoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory."

<u>बिन्दु–4 पर आख्या–</u>

प्रश्नगत क्षेत्र विंध्यन पारिस्थितिकी तंत्र (इको सिस्टम) के अन्तर्गत आता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में कैमूर वन्य जीव विहार शासन की अधिसूचना सं0–908/14–3–44–78 दिनांक–10 अगस्त 1982 द्वारा स्थापित की गयी है। जिसमें काला हिरण, चीतल, भालू एवं अन्य वन्य जीव संरक्षित किये जा रहे है। कैमूर वन्य जीव विहार के अतिरिक्त जनपद सोनभद्र एवं मीरजापुर में अन्य कोई वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से उच्च स्तर को प्रेषित नहीं किया गया है।

"5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy (UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on

Dy. Cwlw / मो आ गे

29/1/25

Recf (wl) By 29/1/2025

December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP)."

बिन्दु–5 पर आख्या–
टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

"6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified reserve forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur division. The area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site."

बिन्दु–6 पर आख्या–
प्रश्नगत क्षेत्र मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आता है। अतः उक्त पर टिप्पणी प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर से लिया जाना उचित होगा।

"7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980."

बिन्दु–7 पर आख्या–
टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त आख्या वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क–सोनभद्र के द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक–27.01.2025 के आधार पर है। प्रश्नगत क्षेत्र कैमूर वन्य जीव विहार के बाहर मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के अन्तर्गत आता है। अतः उक्त पर टिप्पणी प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर से भी लिया जाना उचित होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एन०के० जानू)
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर।